आमजन हेतु सरल रुप में जैवविविधता सम्बन्धी लोकोपयोगी जानकारी

(जैव विविधता अधिनियम ,नियमावली, मार्गदर्शिका एवं अधिनियम सम्बन्धी सरकारी आदेशों आदि के जन उपयोगी मुख्य अंशों का संकलन)

झारखण्ड जैवविविधता पर्षद्

(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार)

प्राक्कथन

भारत सरकार द्वारा जैवविविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग, और जैवसंसाधनों के पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले फायदों को, समुदायों के बीच समुचित और न्यायसंगत हिस्सेदारी बांटने आदि के उदेश्यों की प्राप्ति हेतु, जैवविविधता अधिनियम, 2002 (वर्ष 2003 का संख्या 18) 5 फरवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गयी। झारखंड सरकार द्वारा भी उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु झारखण्ड जैवविविधता पर्षद एवं झारखण्ड जैवकीय विविधता नियमावली, 2007 अधिनियमित की गयी है।

जैवविविधता प्राकृतिक संसाधन हैं जिनसे हमारे जीवन की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैवविविधता, जिसे जीवन की विविधता भी कहा जाता है, यह आसान शब्दों में पौधों, जीव जन्तुओं में पाई जाने वाली अलग-अलग प्रकार की विशेषताएं है। जैवविविधता पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों से मिलजुल कर बनी है। यह सभी तरह के जीवनों को समाहित करती है जिसे अरबों वर्षों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन एवं विकास ने वर्तमान स्वरुप दिया है। इसमें अन्यंत सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े पौधों और जानवरों और यहाँ तक कि मनुष्य की प्रजातियाँ भी शामिल है।

झारखण्ड की अर्थव्यवस्था, अपने प्राकृतिक जीवन की विविधतापूर्ण संसाधनों यथा वानिकी, कृषि, जल, भूमि, फल-फूल, पौधों, जन्तुवों, समुदायों इत्यादि से निकटता से जुड़ी हुई है। इन प्राकृतिक क्षेत्रों पर मानव द्वारा किये जा रहे परिवर्तनों यथा निर्माण, खनन, आदि कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव जैवविविधता पर नकारात्मक परिणाम पैदा कर गरीबों और हाशिए के लोगों के आजीविका विकल्पों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। जैवविविधता के संरक्षण के बिना अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखना संभव नही है।

जैवविविधता के दस्तावेजीकरण एवं इसके संरक्षण, संवर्धन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र में जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) का गठन करना है। झारखण्ड जैवविविधता पर्षद स्थानीय लोगो की सक्रिय भागीदारी और क्षमता निर्माण हेतु प्रयासरत है और इस संरक्षण और जागरूकता अभियान की दिशा में सरल भाषा में जैवविविधता सम्बंधी अधिनियम, नियम, विनियम तथा अन्य संबंधित जानकारियों को जैवविविधता समितियों एवं जन समुदायों के लिए रोचक रूप से लोकोपयोगी पुस्तक के रूप में तैयार किया गया है। आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक मार्गनिर्देशिका संकलन जैवविविधता प्रबंधन समितियों और जन समुदायों को संबंधित अधिनियम, नियम और सरकारी आदेशों की मुख्य जानकारी तथा जैवविविधता के दस्तावेजीकरण में सहायक होगी।

Disclaimer-जैवविविधता अधिनियम, निमय एवं मार्गदर्शिका के जनोपयोगी मुख्य अंशों को आमजनों के समझ हेतु सरल रूप में इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में सरकार द्वारा निर्गत अधिनियम, नियम एवं मार्गदर्शिका ही मान्य होगा।

विषयवस्तु तालिका

भाग	मुख्य विषयवस्तु	अध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	जैवविविधता संबंधी नियम, अधिनियम, विनियम- लोकोपयोगी अंश	एक	**संसद द्वारा पारित जैवविविधता अधिनियम,** 2002 (Biological Diversity Act, 2002- 2003 का अधिनियम संख्यांक 18, 5 फरवरी, 2003) के **जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMC) सम्बन्धी मुख्य अंश**	2-10
		दो	झारखंड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 BMC सम्बन्धी मुख्य अंश	11-16
		तीन	भारत सरकार का जैविक परिसंपति पूँजी के फायदाध्लाभ की हिस्सेदारी सम्बन्धी विनियम, 2014 BMC सम्बन्धी मुख्य अंश	17-22
2	जन जैव-विविधता पंजी कार्य प्रणाली	चार	**जन जैवविविधता पंजीः एक परिचय**	24-26
		पॉच	स्थानीय सामान्य विवरणी एवं प्रपत्र	27-29
		छः	**स्थानीय जैवविविधता के दस्तावेजीकरण हेतु प्रपत्र**	30-44
			i. स्थानीय कृषि जैवविविधता	
			ii. स्थानीय घरेलु पौधों की (औषधीय, सजावट, फलदार, काष्ठीय आदि) जैवविविधता	
			iii. स्थानीय विभिन्न प्रकार की जैवविविधता	
			iv. स्थानीय शहरी वनस्पति व जीव-जंतु जैवविविधता	
			v. स्थानीय सामाजिक-आर्थिक वर्णन	
			vi. स्थानीय जन जैवविविधता पंजी प्रमाण पत्र	
3	महत्वपूर्ण प्रजातियाँ	सात	राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा झारखण्ड से एकत्रित एवं संरक्षित वनस्पतीय प्रजातियाँ	45-53
4	महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों का संकलन	आठ	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थानों द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समिति के गठन एवं विभिन्न विभागों द्वारा इन समितियों को सभी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने सम्बंधित दिशा निर्देश	54-55
		नौ	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा सभी उपायुक्तों को जैवविविधता प्रबन्धन समितियों को स्थानीय कार्यालय एवं बैठक हेतु पंचायत भवनों को उपलब्ध कराने सम्बंधित आदेश	56
		दस	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार - वन प्रमंडल पदाधिकारी को नाभिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना	57-58
		ग्यारह	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा वनपालो को जैवविविधता प्रबंधन समितियों के खाता संचालन हेतु संयुक्त हस्ताक्षरी संबंधी अधिसूचना	59-60

भाग–1

जैवविविधता संबंधी नियम, अधिनियम, विनियम–लोकोपयोगी अंश

रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009/पौष 22, 1930
No. 68] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSA 22, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

का.आ. 120(अ).—जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2708 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

उपर्युक्त अधिसूचना में :—

तालिका में क्रम सं. 3, क्रम सं. 4 और उनके कॉलम सं. 2 और 3 में की गई अनुरूपी-प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, नामतः :—

क्रम सं.	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
4.	वन अधिकारी जो रेंज ऑफिसर के रैंक से कम न हों	उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में

[फा. सं. 28-14/2008-सीएस-III (एन बी ए)]

ए. के गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2708(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2009

S.O. 120(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 61 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby make the following further amendments in the Notification No.S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008 namely :—

In the said Notification :—

In the TABLE, after Sl.No. 3, Sl.No. 4 and the corresponding entries in column No. 2 & 3 thereof, shall be inserted, namely :—

Sl.No.	Officer authorised to file complaints under Section 61 (a) of the Biological Diversity Act, 2002	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
4.	Forest Officers not below the rank of Range Officers	In their respective jurisdictions

[F. No. 28-14/2008-CS-III (NBA)]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* Notification No. S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008.

155 GI/2009

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

अध्याय – एक

संसद द्वारा पारित जैवविविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act 2002-2003 का अधिनियम संख्यांक 18, 5 फरवरी, 2003) के जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMC) सम्बन्धी मुख्य अंश

(जैवविविधता के संरक्षण, इसके सतत उपयोग और जैव संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से अद्भुत फायदों को समुदायों के बीच समुचित और न्यायसंगत हिस्सेदारी और सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम)

1. जैवविविधता क्या है?:

''जैवविविधता'' जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आम तौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), के अनुसार जैवविविधता (Biodiversity) विशिष्टतया आनुवांशिक, प्रजाति, तथा पारिस्थितिकि तंत्र के विविधता का स्तर मापता है। जैवविविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है। पृथ्वी पर जीवन आज लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियों के रूप में उपस्थित है।

जैवविविधता का महत्व पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए **इसका रखरखाव करना बहुत महत्वपूर्ण** है। जानवरों, पौधों और सूक्ष्मजीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के बिना हम स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों की आशा भी नहीं कर सकते हैं। ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं।

''जैवविविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारे जीवन की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ''जैवविविधता जिसे जैविक विविधता भी कहा जाता है यह आसान शब्दों में पौधों, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली अलग-अलग प्रकार की विशेषताएं है। जैवविविधता हमारे ग्रह पर सभी जीवित चीजों से बनी है। यह सभी तरह के जीवन को समाहित करती है जिसे अरबों सालों के विकास ने आकार दिया है। इसमें सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े पौधों और जानवरों तक, यहां तक कि हमारी अपनी प्रजातियाँ भी शामिल हैं।

2. मनुष्यों के लिए जैवविविधता का महत्व:

ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए हम जैवविविधता पर निर्भर करते हैं और हमारे लिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कृषि को ही ले लीजिए, यह जैवविविधता पर अविश्वसनीय रूप से निर्भर है। जैवविविधता मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती हैं, तथा कीटों द्वारा ही कई फल, नट और सब्जियां परागित होते हैं।

दुनिया के एक तिहाई फसल उत्पादन में परागणकर्ता (पोलिनेटर), जैसे पक्षी, मधुमक्खी और अन्य, कीड़े अहम भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव (यथा केंचुआ) मृदा में पोषक तत्वों को मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। महासागरों में, मछली और समुद्री जीवन के अन्य रूप लगभग एक अरब लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत प्रदान करते हैं।

3. जैवविविधता के प्रकार:

जैवविविधता आमतौर पर एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में, प्रजातियों की समृद्धि (Species Richness) या प्रजातियों की समता (Species Evenness) के रूप में वर्णित की जाती है। जैवविविधता के लाभ कृषि, विज्ञान और चिकित्सा, औद्योगिक सामग्री, पारिस्थितिक सेवाओं, सांस्कृतिक सौंदर्य और बौद्धिक पारम्परिक ज्ञान के क्षेत्रों में विशेष रूप से उल्लेखित है।

जैवविविधता को मुख्यत: निम्न तीन प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है:

1) आनुवंशिक विविधता: यह गुणसूत्रों पर आधारित है जो जीवों के आनुवंशिक संरचना के बीच भिन्नता को दिखाता है। किसी विशेष प्रजाति के जीव अपने आनुवंशिक संरचना में एक दूसरे से अलग होते है। यही वजह है कि हर जीव एक-दूसरे से अलग दिखता है। इसी तरह, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, आदि की एक ही प्रजाति में अलग-अलग किस्में होती हैं।

2) प्रजातीय विविधता: यह एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में विविधता को दिखाता है। इसमें पौधों से लेकर विभिन्न सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया आदि की सभी प्रजातियां शामिल हैं।

3) पारिस्थितिक विविधता: किसी खास पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली विविधता को पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। जीवित से लेकर जो जीवित नहीं है यह उनका एक संग्रह है।

4. भारत देश और झारखण्ड की जैवविविधता:

हमारा देश भारत जैवविविधता और उससे सम्बन्धित पारम्परिक और समसामयिक ज्ञान पद्धति में समृद्ध है: और भारत 5 जून, 1992 को ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन में हुई जैवविविधता से सम्बन्धित संधि पर विश्वभर के कई राष्ट्राध्यक्षों द्वारा किए गए हस्ताक्षर कर्ताओं में एक अर्थात इसको स्वीकार करने वालों में एक है। सम्मलेन 29 दिसम्बर, 1993 को लागू हुआ। सम्मलेन में सभी देशों ने के अपने-2 जैव-संसाधनों पर पूर्ण (सम्प्रभुता) अधिकारों को माना गया (अभिपुष्टि की गई) है। सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य जैवविविधता का संरक्षण, इसके तत्वों (अवयवों) का सतत उपयोग और इन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग से निकलने वाले (अद्भुत) फायदों में सम्बंधित समुदायों को उचित और न्यायसंगत (Equitable) हिस्सेदारी का वितरण है और फायदे में न्यायसंगत हिस्सों का वितरण इत्यादि उक्त संधियों को प्रभावी करने के लिए भी उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है।

झारखण्ड जैवविविधता बहुल राज्य है जहाँ स्थानीय समुदायों में पशु, पक्षी, वनस्पति एवं अन्य जीवों की अनेक प्रजातियाँ से चिरंतर काल से संतुलन बनाने की परंपरा रही है। इन जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के परंपरागत उपयोगों को हम अपने पूर्वजों से देख कर या सुनकर सीखते आ रहे हैं जिसे पारंपरिक ज्ञान कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में विकसित जैवविविधता एवं उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के पंजीकरण या अभिलेखन की प्रक्रिया को जैवविविधता पंजीकरण एवं इस प्रकार तैयार किए गए दस्तावेजों को जैवविविधता पंजी कहते हैं। इसकी उपयोगिता यह है कि स्थानीय निकाय और समुदाय अपनी स्थानीय जैवविविधताओं के अनाधिकृत उपयोग व अत्यधिक दोहन की रोकथाम कर जैवविविधता का संरक्षण, इसके तत्वों (अवयवों) का सतत उपयोग और इन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण करते हुए इनके

सतत उपयोग से निकलने वाले (अद्भुत) फायदों में अपने सम्बंधित समुदाय के लोगों के बीच उचित और न्यायसंगत (Equitable) हिस्सेदारी का लाभ प्राप्त कर सकें।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेडएसआई) देश की संकटापन्न और लुप्तप्राय प्रजातियों सहित वनस्पति-जातीय और प्राणि-जातीय प्रजातियों का सर्वेक्षण करते हैं। बीएसआई के पास उपलब्ध आंकडों के अनुसार देश में दर्ज किए गए संवहनी पादपों (वेस्कुलर प्लांट्स) (एंजियोस्पर्मस, जिमनोस्पर्मस, पेटरिडोफाइट्स) की प्रजातियों में से 1236 प्रजातियां, विभिन्न संकटापन्न श्रेणियों जैसे कि अत्यधिक लुप्तप्राय, 19156 लुप्तप्राय, असुरक्षित आदि की हैं। वर्ष 2013 और 2015 के बीच, में लुप्तप्राय पादप प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में उक्त 1236 लुप्तप्राय पादप प्रजातियों के संबंध में नामों और प्रदेशों/क्षेत्रों को भारतीय पादपों की रेड डेटा बुक के चार खण्डों और भारत में संकटापन्न संवहनी पादप प्रजातियों की लाल सूची में पहले से प्रकाशित कर लिया गया है।

बीएसआई ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत 595 पादप प्रजातियों की संकटापन्न पादपों की राज्य-वार सूची, जंगल से उनके एकत्रण को निषिद्ध और विनियमित करने के लिए प्रकाशित की है। झारखण्ड प्रदेश की स्थानिक संकटापन्न पादप प्रजातियों में 64 पादप प्रजातियां शामिल है जो Fabaceae, Poaceae, Ranunculaceae, Apiaceae, Gentianaceae, Zingiberaceae, Rosaceae, Berberidaceae, Verbenaceae, Oleaceae, Orchidaceae, Droseraceae, Celastraceae, Commelinaceae, Salicaceae, Taccaceae and Violaceae से हैं।

जेडएसआई द्वारा कराए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कुल 96,891 पशु प्रजातियाँ है जो कि विश्व प्राणि-जात विविधता का 7.31% है। आईयूसीएन आकलन के अनुसार, गत दो वर्षों में भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या 648 से बढकर 665 हो गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है।

वर्ष / पशु समूह	स्तनपायी	पक्षी	सरीसृप	उभयचर	मछलियां	घोंघा	अन्य रीढरहित (invertebrate)	'कुल
2013	95	80	52	74	213	6	128	648
2015	98	88	53	75	216	7	128	665

इसी प्रकार झारखण्ड में लुप्तप्राय 36 प्रजातियां, के नाम हैं: Tiger, Ganges river dolphin, Sloth Bear, Asian Elephant, Indian Giant squirrel, Flying squirrel, Mouse Deer, Marsh Harriers, Darter, White necked stork, Fulvous whistling Duck, Ferruginous pochard, Bengal Florican, Greater Adjutant, Lesser Adjutant, Nordmann's Greenshank, Black-bellied Tern, Egyptian Vulture, Red-headed Vulture Himalayan Vulture, White-rumped Vulture, Indian Vulture, Indian Spotted Eagle, Greater Spotted Eagle, Eastern Imperial Eagle, Pallas's Fish Eagle, Green Avadavat, Bristled Grass Warbler, River Lapwing,Lesser adjutant, River Tern, Oriental white ibis, Black bellied tern, Flap Shell turtles, Crat - Russell Viper (**बाघ,** गंगा नदी डॉल्फ़िनि, स्लोथ भालू, एशियाई हाथी, भारतीय विशालकाय गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, माउस डियर, मार्श हैरियर, डार्टर, सफेद गर्दन वाला सारस, फुल्वस व्हिसलिंग डक, फेरुगिनस पोचार्ड, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेटर एडजुटेंट, लेसर एडजुटेंट, नॉर्डमैन का ग्रीनशंक, ब्लैक-ग्रीनशंक

बेलीड टर्न, मिस्र का गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, हिमालयी गिद्ध, सफेद पूंछ वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, भारतीय चित्तीदार ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, पलास फिश ईगल, ग्रीन अवदावत, ब्रिस्टल ग्रास वार्बलर, रिवर लैपविंग, लेसर एडजुटेंट, रिवर टर्न, ओरिएंटल व्हाइट आइबिस, ब्लैक बेलिड टर्न, फ्लैप शेल कछुए, क्रैट और रसेल वाइपर) हैं।

भारत की समृद्ध जैवविविधता बड़े पैमाने पर मानव निर्मित भू-भाग लैंडस्केप) के परिवर्तनों और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों/निवासों की क्षति के भीषण खतरे का सामना कर रही है।

5. जैवविविधता अधिनियम:

उपरोक्त उद्देश्यों के प्राप्ति की दिशा में भारत की संसद द्वारा भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में जैवविविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) को निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है:

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जैवविविधता अधिनियम, 2002 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह 5 फरवरी, 2003 तारीख को केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना (2003 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा प्रवृत्त है।

परिभाषाएँ: इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

क) "फायदे के दावेदार" का अर्थ जैव-संसाधनों, इससे प्राप्त होने वाले सहोत्पादों (by&products) के संरक्षकों, ऐसे जैविक संसाधनों का उपयोग, और इन उपयोग और पारंपरिक नित्य-प्रयोग से जुड़ी नयी पद्धति/खोज और इनके व्यवहार से संबंधित ज्ञान और जानकारी के सृजनकर्ताओं और धारकों से है:

ख) "जैवविविधता" से तात्पर्य है सभी श्रोतों के सप्राण जीवों के बीच विभिन्नता, इनके पारिस्थितिक आवासों जिनके वे भाग हैं, और इसमें प्रजातियों के बीच, या प्रजातियों और पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच की विविधता भी सम्मिलित हैं:

ग) "जैव संसाधनों" से तात्पर्य है पौधे, जीव-जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, उनके आनुवंशिक पदार्थ और प्राप्त होने वाले सहोत्पाद (मूल्य-वर्धित उत्पादों को छोड़कर) का वास्तविक या सम्भावित उपयोग या मूल्य; किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं है:

घ) "जैव सर्वेक्षण और जैविक उपयोग" से तात्पर्य है किसी प्रयोजनार्थ जैव संसाधनों की प्रजातियों, उप-प्रजातियों, वंशाणु अर्थात आनुवंशिकता की मूल भौतिक इकाई (जीन), तत्वों और **जैविक संसाधन** के अर्क/सत्व का सर्वेक्षण या संग्रहण; तथा इसमें इनका सूचीकरण, वर्णन व गुणात्मक अथवा मात्रात्मक मापन करने के कार्य भी सम्मिलित है:

ङ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या राज्य जैवविविधता बोर्ड का अध्यक्ष :

च) **"वाणिज्यिक उपयोग"** से तात्पर्य है **व्यावसायिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों** का अंतिम उपयोग जैसे औषधि, औद्योगिक, खाद्य सुगन्ध, सुवास, प्रसाधन, रंग, सत्व, और जीन के माध्यम से अनुवांशिकी हस्तक्षेप कर फसल और पशुधन में सुधार; किन्तु इसके अन्तर्गत किसी कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में उपयोग में आने वाला पारम्परिक प्रजनन या परम्परागत पद्धतियाँ नहीं आती हैं:

छ) **"फायदों में उचित और समतापूर्ण (न्यायसंगत) हिस्सा बँटाना"** से तात्पर्य है धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए फायदों में हिस्सा बँटाना:

ज) "स्थानीय निकायों" से तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद 243 ख के खण्ड (1) और अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (1) के अनुरूप पंचायतें और नगरपालिकाएँ, **चाहे उनका कोई नाम हो, और पंचायतों या नगरपालिकाओं के अभाव में** संविधान के किसी अन्य उपबन्ध या किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित स्वशासी संस्थाएँ:

झ) "सदस्य" से राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या राज्य जैवविविधता बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है:

ञ) "राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण" से धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है:

ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

ठ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है:

ड) "अनुसंधान" से किसी जैव-संसाधन का अध्ययन या क्रमबद्ध अन्वेषण या उसका प्रौद्योगिकीय उपयोजन अभिप्रेत है जो किसी उपयोग के लिए उत्पादों को बनाने या उपान्तरित करने या प्रक्रियाएँ करने के लिए जैव प्रणालियों सप्राण जीवों या उनके अवयवों का उपयोग करता है:

ढ) "राज्य जैवविविधता बोर्ड" से धारा 22 के अधीन स्थापित राज्य जैवविविधता बोर्ड अभिप्रेत है;

ण) "सतत उपयोग" से जैवविविधता के अवयवों का ऐसी रीति में और ऐसी दर से उपयोग अभिप्रेत है जिससे जैवविविधता का दीर्घकालिक नुकसान न होता हो, और जिससे वर्तमान और भावी पीढियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की इसकी प्राप्ति की सम्भावना बनी रह सकेय

त) "मूल्यवर्धित उत्पादों" से तात्पर्य है ऐसे उत्पाद जिनमें पौधों और जीवों अर्थात "जैव संसाधनों" के आसानी से न पहचाने जाने योग्य और प्राकृतिक रूप से अविभाज्य अंश या अर्क मिले हो सकते हैं।

6. इस अधिनियम के अनुसार बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए आवेदन राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति भारत में या भारत के बाहर किसी ऐसे अविष्कार के लिए जो भारत से अभिप्राप्त किसी जैव-संसाधन सम्बन्धी किसी अनुसंधान या जानकारी पर आधारित हो, किसी बौद्धिक सम्पदा अधिकार के लिऐ, चाहे उसका कोई भी नाम हो, आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना आवेदन नहीं करेगा।

7. कुछेक विशेष प्रयोजनों के लिए जैव-संसाधन को प्राप्त करने के लिए राज्य जैवविविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला : ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, राज्य जैवविविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला देने के पश्चात ही वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई जैव संसाधन या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव सर्वेक्षण और जैव-उपयोग सम्बद्ध प्राप्त करेगा, अन्यथा नही। परन्तु इस धारा के उपबन्ध उस क्षेत्रों के स्थानीय व्यक्ति या समुदायों पर लागू नहीं होंगे जिनके अन्तर्गत जैवविविधता के उगाने वाले और कृषक, और ऐसे वैद्य और हकीम है जो देशी औषधियों का व्यवसाय कर रहे हैं।

8. जैवविविधता प्रबन्ध समितियाँ:

अधिनियम का अध्याय 10, इस अधिनियम का केंद्र बिन्दु है। इसकी धारा **41 में संविधान के अनुच्छेद 243 ख के खण्ड (1)** और **अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (1) के अनुरूप प्रत्येक स्थानीय निकाय**, चाहे वह कोई भी नाम से जानी जाती हों (यथा **पंचायतें और नगरपालिकाएँ**, और पंचायतों या नगरपालिकाओं के अभाव में **संविधान के किसी अन्य उपबन्ध या किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित स्वशासी संस्थाएँ)** द्वारा इस अधिनियम की शक्तियों के अंतर्गत जैवविविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee: BMC) के कार्य निम्न प्रकार हैं।

क) अपने क्षेत्र के भीतर जैवविविधता का संरक्षण, जिसमें इसके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षाय;

ख) जैवविविधता के तत्वों का सतत उपयोग और

ग) आनुवंशिक संसाधनों के "वाणिज्यिक उपयोग" तथा **सम्बन्धित ज्ञान और जानकारी के सृजन करने वाले और इसके धारक को अद्भुत फायदों की दावेदारी में उचित और साम्यपूर्ण (उचित एवं न्यायसंगत साझेदारी) हिस्सा बँटाने हेतु गठन करने के प्रावधान हैं।**

9. जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के गठन की भूमिका:

जैवविविधता के विभिन्न पहलुओं को **जैवविविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से** व्यवहारिकता के साथ आत्मसात करने हेतु जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 41 निम्नवत है:-

धारा 41(1) : प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र के भीतर एक जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकाय क्षेत्र में पाये जाने वाली जैवविविधता का:-

क) संरक्षण;

ख) सतत उपयोग; और

ग) दस्तावेजीकरण को बढावा देना है- जिसमें प**शु एवं पौधों का प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, स्थानीय भूमि की नस्लों/प्रजातियों, लोककिस्मों, स्थानीय ऐसे प्रजातियाँ के प्रभेद जो कृषि** में पैदा होती है या उगाई जाती है, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों के घरेलूकृत स्टॉक और प्रजनन संरक्षण, साथ ही साथ उक्त निकाय में अवस्थित पालतू जानवरों और सूक्ष्मजीवों की नस्लों एवं पूर्वजों से चला आ रहा जैविक विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान (ऐतिहासिक प्रलेखन) का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा ।

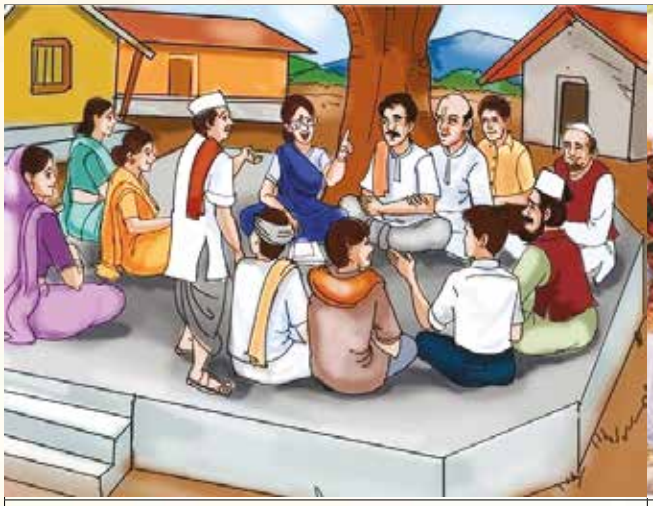

पंचायत

बीएमसी

अर्थात प्रत्येक स्थानीय निकाय का उद्देश्य जैवविविधता के संरक्षण, संवर्धन, जिसके अन्तर्गत इनके प्राकृतिक वास की सुरक्षा/परिरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखीकरण है।

इस उपधारा में प्रयुक्त शब्दों के लिए स्पष्टीकरणः

क) **प्रभेद** (**Cultivar**) का अर्थ है पौधों की ऐसी किस्म जो खेती करने के दौरान पैदा हुई और लगातार इस्तेमाल होती रही या विशेष रूप से खेती के उद्देश्य से ही विकसित की गई थी।

ख) **लोक किस्म** (**Folk Variety**) का अर्थ है पौधों की ऐसी किस्म जिसे किसान या किसानों के समूह के द्वारा अपने अनुभवों पर आधारित प्रयोग द्वारा विकसित किया गया था और किसानों के बीच अनौपचारिक रूप से आदान प्रदान किया गया था ।

ग) **भू-प्रजाति** (**Land Races**) का अर्थ है वह किस्म जो प्राचीन किसानों व उनके उत्तराधिकारियों द्वारा लंबे काल अवधि से एक स्थान विशेष में उगायी जाती रही है।

धारा 41 (2): राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और राज्य जैवविविधता पर्षद जैवविविधता प्रबंधन समिति के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर होने वाले ऐसे संसाधनों से जुड़े जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय जैवविविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करेंगे।

धारा 41 (3): जैवविविधता प्रबंधन समितियां अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किसी भी जैविक संसाधन तक पहुँच बनाने या प्राप्त करने या एकत्र करने के लिए किसी भी व्यक्ति से संग्रह-शुल्क के रूप में शुल्क लगा सकती हैं। यह स्थानीय जैवविविधता प्रबंधन समितियों की जैवविविधता निधि के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है।

10. जैवविविधता निधि: यह निधि जैवविविधता कानून के अंतर्गत प्रस्तावित कोष है जिसका मूल उद्देश्य जैवविविधता संबंधित पारिस्थिकी तंत्र व स्थानीय समूह का सतत विकास है जिसके लिए राज्य सरकार उचित विनियोग के बाद इस संबंध में कानून द्वारा राज्य विधायिका को **स्थानीय जैवविविधता निधि को** अनुदान या ऋण के रूप में भुगतान कर सकती है, जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए उपयुक्त समझ सकती है।

1) स्थानीय जैवविविधता निधि का गठन: राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र में जहां स्थानीय स्वशासन की स्वायत्त संस्था कार्य कर रही हो, **स्थानीय जैवविविधता निधि के नाम से एक निधि का गठन** किया जाएगा। इस निधि में निम्नलिखित मदों से धन जमा किया जाएगा।

i. **धारा 42 के तहत दिया गया कोई अनुदान** और ऋण

ii. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा दिया गया कोई अनुदान या ऋण

iii. **राज्य जैवविविधता पर्षद द्वारा दिया गया कोई अनुदान** या ऋण

iv. **धारा 41 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शुल्क,** जो राज्य सरकार द्वारा तय अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ।

2) स्थानीय जैवविविधता निधि का उपयोजन या उपयोग:

i. **धारा 41** की **उप-धारा (2)** के प्रावधानों के अधीन स्थानीय जैवविविधता निधि का प्रबंधन और संरक्षण और जिन उद्देश्यों के लिए निधि का प्रयोग किया जाएगा, वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से होंगे।

ii. इस निधि का उपयोग, संबंधित स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया जाएगा।

iii. यदि यह जैवविविधता के संरक्षण के अनुरूप हो, तो इस निधि का उपयोग संबंधित समुदाय को लाभांवित करने के लिए भी किया जा सकता है।

11. जैवविविधता प्रबंधन समिति का वार्षिक रिपोर्ट:

स्थानीय जैवविविधता निधि के संरक्षण की जिम्मेवारी वाला व्यक्ति एक निश्चित प्रारूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित समय पर, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा

लेखा-जोखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति संबंधित स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।

12. जैवविविधता प्रबंधन समिति के लेखाओं की लेखापरीक्षाः

राज्य के लेखाकार द्वारा केन्द्र के साथ परामर्श के आलोक में स्थानीय जैवविविधता निधि के खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा की जाएगी। स्थानीय जैवविविधता निधि के संरक्षण की जिम्मेवारी वाला व्यक्ति संबंधित स्थानीय निकाय को ऐसी तारीख से पहले लेखा परीक्षा प्रस्तुत करेगा जिससे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ खातों की लेन देन की जांच की जा सके।

स्थानीय निकाय के क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले जिला **मजिस्ट्रेट को धारा 41 की उप धारा (1)** के तहत जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करने वाला प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्षिक रिपोर्ट और लेखा की लेखा-परीक्षा प्रति के साथ-साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को क्रमशः धारा 45 और 46 में संदर्भित करेगा और ऐसी समिति से संबंधित को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय–दो

झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के सरल भाषा में जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) सम्बन्धी मुख्य अंश

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के सरल भाषा में जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) सम्बन्धी मुख्य अंश

1. संक्षिप्त शीर्षक

''झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007'' वर्ष 2007 के माह अप्रैल की पहली तिथि से झारखण्ड राज्य की सीमाओं में प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ -

(i) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत होगा ''जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का क्रमांक 18)'';

(ii) **''प्राधिकार''** से अभिप्रेत होगा अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित ''राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकार''।

(iii) **''पर्षद''** से अभिप्रेत होगा अधिनियम की धारा-22 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित ''झारखण्ड जैवविविधता पर्षद''।

(iv) **''जैवविविधता प्रबंधन समिति''** (संक्षिप्त में जै.वि.प्र.स/बीएमसी/BMC) से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-41 की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित ''जैवविविधता प्रबंधन समिति''।

(v) **''अध्यक्ष''** से अभिप्रेत होगा झारखण्ड जैवविविधता पर्षद का अध्यक्ष;

(vi) **''शुल्क''** से अभिप्रेत होगा अनुसूची में निहित कोई शुल्क;

(vii) **''प्रपत्र''** से अभिप्रेत होगा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र;

(viii) **''सदस्य''** से अभिप्रेत होगा झारखण्ड जैवविविधता पर्षद का कोई सदस्य, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव सम्मिलित होंगे;

(ix) **''धारा''** से अभिप्रेत होगा अधिनियम की कोई धारा;

(x) **''सदस्य सचिव''** से अभिप्रेत होगा पर्षद का पूर्णकालिक सचिव;

3. अध्यक्ष के चयन एवं उसकी नियुक्ति की पद्धति

(i) पर्षद का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (1) के अधीन अध्यक्ष की प्रत्येक नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति दोनों ही मामलों में आवेदक को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नीचे के स्तर का नहीं होना चाहिए। जैवविविधता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ अथवा वैज्ञानिक को भी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा।

(iii) अध्यक्ष की योग्यता, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप-दंड एवं जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 (4) (ए) में उल्लिखित योग्यता के अनुरूप होगी।

4. पर्षद के सदस्य सचिव का चयन एवं उसकी नियुक्ति की पद्धति

(i) राज्य सरकार सेवारत मुख्य वन संरक्षकों में से किसी एक को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पर्षद का पूर्णकालिक सदस्य-सचिव नियुक्त कर सकेगी।

(ii) सदस्य-सचिव पर्षद की बैठकों के समन्वय एवं संयोजन, पर्षद की कार्यवाहियों के अभिलेखों के संधारण तथा वैसे अन्य विषयों के लिए, जो पर्षद द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं, उत्तरदायी होंगे।

नोटः पर्षद् की निरंतरता और कार्यान्वयन को बनाये रखने के लिए बैठक व नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी पर्षद् की वेबसाइट www.jbb.jharkhand.org पर उपलब्ध है।

5. पर्षद के सामान्य कार्य - पर्षद निम्नांकित कृत्यों का संपादन कर सकेगीः

(i) अधिनियम की धारा-7 एवं 24 में निर्दिष्ट गतिविधियों के संचालन-नियंत्रण हेतु प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का निर्धारण।

(ii) जैवविविधता के संरक्षण, उसके तत्वों के सतत (चिरस्थायी/दीर्घकालिक) उपयोग एवं जैविकीय संसाधन तथा तत्संबंधी ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों के भागीदार जनसमुदायों (जैवविविधता प्रबंधन समितियों) के बीच उचित एवं न्यायसंगत साझेदारी से संबंधित किसी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देना;

(iii) जैवविविधता प्रबंधन समितियों की गतिविधियों का समन्वय करना;

(iv) जैवविविधता प्रबंधन समितियों को तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना;

(v) जैविकीय संसाधन से संबंधित शोध एवं अनुसंधानों को प्रायोजित करना एवं अध्ययनों को स्थापित करना;

(vi) अपने कृत्यों के प्रभावी संपादन में पर्षद को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु परामर्शियों को नियोजित करना;

(vii) जैवविविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करके जैविकीय संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग का अनुमोदन प्रदान करना एवं उनका विनियमन करना;

(viii) जैवविविधता महत्व के विरासत-स्थलों की पहचान एवं उनका उन्नयन;

(ix) जैवविविधता के संरक्षण, उसके तत्वों के सतत पोष्य उपयोग तथा जैविकीय संसाधन एवं ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों के उचित एवं न्यायसंगत सहभागिता से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिक आँकड़ों, हस्तकों, संहिताओं एवं मार्ग-निर्देशों का संग्रहण, संकलन एवं प्रकाशन;

(x) जैवविविधता के संरक्षण, उसके तत्वों के सतत पोष्य उपयोग तथा जैविकीय संसाधन एवं ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों के उचित एवं न्यायसंगत सहभागिता से संबंधित एक सर्वांगीण कार्यक्रम का जन-संचार के माध्यम से आयोजन/संगठन;

(xi) जैवविविधता के संरक्षण एवं उसके तत्वों के सतत पोष्य उपयोग के कार्यक्रमों में नियोजित अथवा नियोजन हेतु संभावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना का निर्माण एवं उसका आयोजन;

(xii) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आय-व्ययक (बजट) के प्रावधानों के अनुरूप पर्षद का वार्षिक आय-व्ययक (बजट) तैयार करना;

(xiii) पर्षद द्वारा अपने कृत्यों के प्रभावी संपादन हेतु राज्य सरकार से पदो के सृजन की अनुशंसा करना एवं पदों का सृजन करना; प्रतिबंध यह है कि स्थायी/अस्थायी अथवा किसी प्रकृति का कोई पद राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना सृजित नहीं हो सकेगा;

(xiv) पर्षद के कर्मियों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया का अनुमोदन करना;

(xv) प्रभावी प्रबंधन, उन्नयन एवं सतत पोष्य उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जैव-विविधता पंजियों एवं इलेक्ट्रॉनिक आधारित आंकड़ों के माध्यम से जैविकीय संसाधन एवं संबंद्ध पारंपरिक ज्ञान हेतु सूचना एवं अभिलेखीकरण पद्धति का सृजन एवं आधारभूत आंकड़ों के निर्माण हेतु आवश्यक उपक्रम करना;

(xvi) अधिनियम के प्रभावी परिपालन हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों को लिखित निर्देश निर्गत करना;

(xvii) पर्षद के कार्य-कलापों एवं अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को प्रतिवेदित करना;

(xviii) पर्षद का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना तथा इसे राज्य सरकार को समर्पित करना;

(xix) जैवविविधता प्रबंधन समितियों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में पड़नेवाले क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को जैविकीय संसाधन तक पहुँच बनाने (अभिगमन) एवं इसे एकत्रित (संग्रहण) करने हेतु अधिनियम की धारा 41(3) के अधीन लिए जाने वाले संग्रहण-शुल्क की अनुशंसा एवं उसमें संशोधन;

(xx) जैवविविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनार्थ ऋण अथवा अनुदान स्वीकृत करना;

(xxi) अधिनियम के परिपालन के संदर्भ में किसी क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण करना;

(xxii) वैसे अन्य कृत्यों का संपादन जो राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपें या निर्देशित किए जाएँ।

(xxiii) बोर्ड के अधीन निर्माण योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

6. जैविकीय संसाधनों की उपलब्धि से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंधः

पर्षद, यदि आवश्यक एवं युक्तियुक्त समझे तो जैविकीय संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने (Access) के अनुरोध को निम्नलिखित कारणों से प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध कर सकेगीः-

(i) यदि पहुँच प्राप्त करने (Access) का अनुरोध किसी संकटापन्न प्रजाति वर्ग के लिए हो।

(ii) यदि पहुँच प्राप्त करने का अनुरोध किसी स्थानीय एवं दुर्लभ प्रजाति के लिए हो।

(iii) यदि याचित पहुँच प्राप्त करने का प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय जनजीविका पर पड़ने की संभावना हो।

(iv) यदि याचित पहुँच प्राप्त करने के परिणाम-स्वरूप कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय आघात आशंकित हो जिसका नियंत्रण एवं शमन दुष्कर हो।

(v) यदि याचित पहुँच प्राप्ति जैविकीय संसाधनों के आनुवांशिक क्षरण का कारण हो सकती हो अथवा इसके पारिस्थिक तन्त्र को कुप्रभावित कर सकती हो।

7. जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठनः-

(i) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार में एक जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) गठित करेगी।

(ii) उप नियम 41(1) के अधीन गठित की जानेवाली जैवविविधता प्रबंधन समिति मे एक अध्यक्ष एव स्थानीय निकाय द्वारा मनोनीत अधिक से अधिक छ सद्स्य होंगे जिनमें कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की तथा कम से कम 36 प्रतिशत संख्या अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की होगी।

(iii) जैवविविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन समिति के सदस्यों के द्वारा स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत बैठक के दौरान किया जाएगा। पक्ष विपक्ष में समान मत की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मतदान का अधिकार होगा।

(iv) जैवविविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कर्यकाल तीन वर्षों का होगा।

(v) विधान सभा एवं लोकसभा के स्थानीय सदस्य समिति कि बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगें।

(vi) जैवविविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य होगा स्थानीय लोगों से परामर्श करके जन जैवविविधता पंजी (People's Biodiversity Register: PBR) तैयार करना। पंजी (PBR) में स्थानीय जैविकीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उससे जुड़ा हुआ औषधीय या कोई अन्य उपयोग या कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान के संबंध में व्यापक जानकारी उल्लेखित की जाएंगी।

(vii) BMC के अन्य कार्यों में पर्षद अथवा राष्ट्रीय प्राधिकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में तथा जैविकीय संसाधनों का उपयोग करनेवाले स्थानीय वैद्यों एवं चिकित्सकों के संबंध में विवरण एकत्र करने के सम्बन्ध में निर्दिष्ट किए गए विषय पर पर्षद अथवा राष्ट्रीय प्राधिकार को परामर्श देना होगा।

(viii) पर्षद जन जैवविविधता पंजी के स्वरूप, उसमें धारित होने वाले विवरण तथा जन जैवविविधता पंजी के इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र का निर्धारण करेगी।

(ix) पर्षद जैवविविधता प्रबंधन समितियों को तकनीकी सहायता एवं दिशा-निर्देश प्रदान करेगी।

(x) जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा जन जैवविविधता पंजी, संधारित एवं प्रमाणीकृत होगी।

(xi) BMC एक ऐसी पंजी भी तैयार करेगी जिसमें जैविकीय संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच प्राप्ति हेतु दी गयी स्वीकृति, लगाये गए संग्रहण शुल्क, प्राप्त लाभों एवं उनके हिस्सेदारी बांटने की पद्धति से संबंधित विवरण उल्लेखित होंगे।

अध्याय-तीन

भारत सरकार का जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्ति (Access) से फायदा/लाभ की हिस्सेदारी सम्बन्धी विनियम, 2014

जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) सम्बन्धी मुख्य अंश

(अधिनियम के माध्यम से जैवविविधता आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित एवं न्यायसंगत हिस्सेदारी हेतु स्थानीय आबादी तक ''पहुँच और लाभ साझाकरण'' **(Access and Benefit Sharing-ABS)** कहा जाता है।

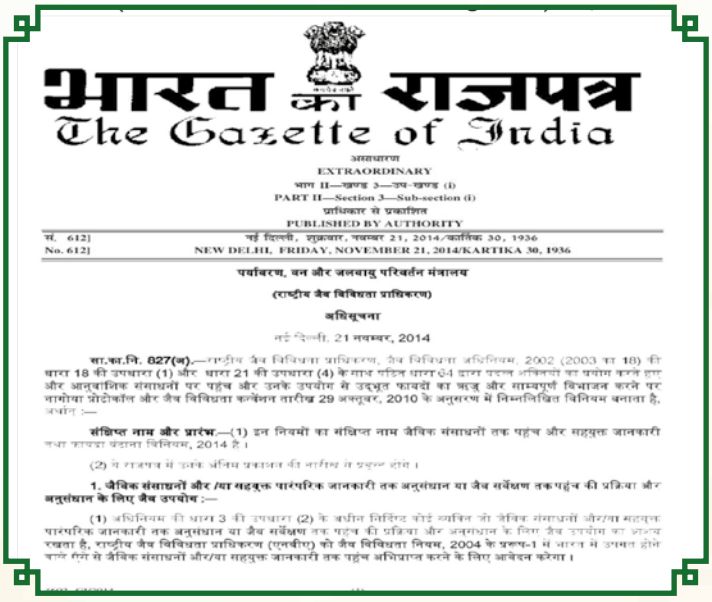

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936
No. 612] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 827(अ).—राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 21 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आनुवांशिक संसाधनों पर पहुंच और उनके उपयोग से उद्भूत फायदों का ऋजु और साम्यपूर्ण विभाजन करने पर नागोया प्रोटोकॉल और जैव विविधता कन्वेंशन तारीख 29 अक्तूबर, 2010 के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

1. जैविक संसाधनों और /या सहयुक्त पारंपरिक जानकारी तक अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुंच की प्रक्रिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग :—

(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो जैविक संसाधनों और/या सहयुक्त पारंपरिक जानकारी तक अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुंच की प्रक्रिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग का आशय रखता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को जैव विविधता नियम, 2004 के प्ररूप-1 में भारत में उपगत होने वाले ऐसे से जैविक संसाधनों और/या सहयुक्त जानकारी तक पहुंच अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
(राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण)

भारत सरकार का जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्ति (Access) से फायदा/लाभ की हिस्सेदारी सम्बन्धी विनियम, 2014

(अधिसूचना नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014 सा. का. नि. 827 अ)

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, जैवविविधता अधिनियम 2002 (2003 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 21 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आनुवंशिक संसाधनों पर पहुँच और उनके उपयोग से उत्पन्न फायदों का हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

1. अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान अथवा जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग तक प्राप्ति की प्रक्रिया:

- अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत संदर्भित कोई भी व्यक्ति, जो भारत में **अनुसंधान के लिए जैविक संसाधनों और/या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान अथवा जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग तक प्राप्ति** इरादा रखता है, को जैवविविधता नियम 2004 के प्रपत्र 1 में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) को आवेदन करेगा।
- राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) उप विनियम (1) के तहत आवेदन से संतुष्ट होने पर, आवेदक के साथ जैवविविधता के उपयोग से अर्जित लाभ साझाकरण समझौता करेगा जिसे उस उप विनियम में संदर्भित अनुसंधान के लिए जैविक संसाधन तक पहुँच के लिए अनुमोदन के रूप में माना जाएगा। उच्च आर्थिक मूल्य वाले जैविक संसाधनों के मामले में, लाभांश का एक अग्रिम भुगतान जो आवेदक व राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण के बीच आपसी सहमति से निर्धारित होगी का प्रावधान विशेष परिस्थिति के रूप में किया जा सकता है।

2. जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग हेतु जैव संसाधन की प्राप्ति की प्रक्रिया:-

- कोई भी व्यक्ति जो संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी)/वनवासी/आदिवासी किसान/ग्राम सभा द्वारा उत्पादित जैविक संसाधनों के सहित अन्य जैविक संसाधनों की प्राप्ति का इरादा रखता है, जैवविविधता नियम, 2004 में उल्लेखित प्रपत्र -1 में एनबीए को अथवा राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसबीबी) द्वारा विहित प्रपत्र में संबंधित जैवविविधता बोर्ड को, इस विनियम में उल्लेखित फॉर्म 'ए' के साथ आवेदन करेगा।
- एनबीए या एसबीबी, जैसा भी मामला हो, उप-विनियम (1) के तहत आवेदन से संतुष्ट होने पर आवेदक के साथ एक लाभ बांटने हेतु समझौता करेगी, जिसे उप विनियम में उल्लेखित **जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग हेतु जैव संसाधन की प्राप्ति** के लिए अनुमोदन के रूप में समझा जाएगा।

3. जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग हेतु जैविक संसाधनों की प्राप्ति के लिए लाभ बांटने की प्रक्रियाः

- जहाँ आवेदक/व्यापारी/उत्पादनकर्ता ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी)/वनवासी/जनजाति कृषक/ग्राम सभा जैसे व्यक्तियों के साथ लाभ बंटाने के लिए पूर्व समझौता वार्ता नहीं की है और इन व्यक्तियों से सीधे जैविक संसाधन का क्रय करता है तो संबंधित उपयोगकर्ता पर निम्नवत लाभ बंटाने की बाध्यता होगी;
- **व्यापारी** (Traders) पर लाभ बंटाने की बाध्यता जैविक संसाधनों के क्रय मूल्य का **एक से तीन प्रतिशत की रेंज** में होगी;
- **उत्पादनकर्ता** (Manufacturer) पर लाभ बंटाने की बाध्यता जैविक संसाधनों के क्रय मूल्य का **तीन से पाँच प्रतिशत की रेंज** में होगी;

परंतु व्यापारी द्वारा उसके द्वारा क्रय किए गए जैविक संसाधनों को किसी अन्य व्यापारी या उत्पादनकर्ता को विक्रय करने की दशा में, क्रेता पर लाभ बंटाने की बाध्यता निम्नवत होगी;

- व्यापारी के रूप में क्रय मूल्य का एक से तीन प्रतिशत की रेंज में होगी;
- उत्पादनकर्ता के रूप में क्रय मूल्य का तीन से पाँच प्रतिशत की रेंज में होगी;

बशर्ते यह भी कि जहां कोई खरीदार आपूर्ति श्रृंखला में तत्काल विक्रेता द्वारा लाभ बंटवारे का सबूत प्रस्तुत करता है, खरीदार पर लाभ साझा करने का दायित्व केवल खरीद मूल्य के उस हिस्से पर लागू होगा जिस के लिए आपूर्ति श्रृंखला में लाभ साझा नहीं किया गया है।

- जहां आवेदक/व्यापारी/उत्पादनकर्ता ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी)/वनवासी/जनजाति कृषक/ग्राम सभा जैसे व्यक्तियों के साथ पूर्व लाभ बंटाने के लिए समझौता वार्ता की है और इन व्यक्तियों से सीधे जैविक संसाधन का क्रय करता है तो संबंधित उपयोगकर्ता पर निम्नवत लाभ बंटाने की बाध्यता होगीः
  - क्रेता यदि व्यापारी है तो जैविक संसाधनों के क्रय मूल्य का तीन प्रतिशत से कम नहीं होगी;
  - क्रेता यदि उत्पादनकर्ता है तो जैविक संसाधनों के क्रय मूल्य का पाँच प्रतिशत से कम नहीं होगी।
- उच्च आर्थिक मूल्य वाले जैविक संसाधनों के मामले में जैसे चंदन, लाल चंदन, आदि और उनके व्युतपन्नों (Derivatives),लाभ के बंटवारे में नीलामी की आय पर कम से कम 5.0% का अग्रिम या एनबीए या एसबीबी, जैसा भी मामला हो, द्वारा तय की गई बिक्री राशि सफल बोली लगाने वाले या खरीदार को जैविक संसाधन के प्राप्ति पूर्व निर्दिष्ट निधि के लिए भुगतान करना होगा।

4. विनियम 2 के तहत वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राप्त जैविक संसाधनों के बिक्री मूल्य का लाभ साझा करने के विकल्पः- जब जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्ति इसके व्यावसायिक उपयोग अथवा जैव सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के माध्यम से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तित होती है, तो आवेदक के पास अपने कारखाने से उत्पाद के वार्षिक सकल माल की बिक्री (एक्स-फैक्ट्री) के लाभ को (जोकि वार्षिक सकल एक्स-फैक्ट्री बिक्री से सरकारी करों को घटा के निकाला जाएगा), को साझा करने के निम्नप्रकार से श्रेणीबद्ध 0.1% से 0.5% तक के विकल्प होंगेः

कारखाने से उत्पाद के वार्षिक सकल माल की बिक्री	लाभ साझा करने के आय घटक (हिस्सा)
1,00,00,000 रुपए तक	0.1%
1,00,00,001 रुपए से 3,00,00,000 रुपए तक	0.2%
3,00,00,000 रुपए से ऊपर	0.5%

5. फीस की वसूली:- यदि जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) द्वारा अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक उद्देश्यों से जैविक संसाधन तक पहुँच प्राप्ति या इसे एकत्र करने के लिए अधिनियम की धारा 41 के उप-धारा (3) के तहत शुल्क का संग्रह लगाया जाता है, तो यह इन विनियमों के तहत राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण/राज्य जैवविविधता पर्षद् को देय लाभ बंटवारे के अतिरिक्त होगा।

6. लाभ बंटवारे का निर्धारण:-

- मौद्रिक और/या गैर-मौद्रिक रूप में लाभ साझाकरण, आवेदक और राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण/संबंधित राज्य जैवविविधता पर्षद् के बीच सहमति से तथा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण/संबंधित राज्य जैवविविधता पर्षद् द्वारा बीएमसी/लाभ दावेदार आदि से लिए गए परामर्श के अनुसार होंगे। इस तरह के लाभ साझा करने के विकल्प उपबंध 1 में दिए गए हैं।
- लाभ के बंटवारे का निर्धारण, जैविक संसाधन के व्यावसायिक उपयोगय विकास और अनुसंधान के चरणों; अनुसंधान के परिणाम से संभावित व्यापार; अनुसंधान और विकास के लिए पहले से किए गए निवेश की राशि; किस प्रकार की प्रौद्योगिकी लागू की गयी है, अनुसंधान की शुरुआत से उत्पाद के विकास को समय-रेखा और विकास के महत्वपूर्ण चरण-बिंदु (मील के पत्थर) और उत्पाद के व्यावसायीकरण में शामिल जोखिम के विवेचन पर आधारित होगा। बशर्ते कि ऐसे मामलों पर विशेष विचार किया जाएगा जहाँ प्रौधीगिकी/उत्पादों का विकास महामारी/बीमारियों को नियंत्रित करने और मानव/पशु/पौधों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरण प्रदुषण को कम करने के लिए किया जा रहा हो।
- लाभ के बंटवारे की मात्रा वही रहेगी चाहे अंतिम उत्पाद में एक या एक से अधिक जैविक संसाधन सम्मिलित हों।
- जहां किसी उत्पाद के जैविक संसाधन दो या दो से अधिक राज्य जैवविविधता पर्षद् के अधिकार क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, अर्जित लाभों की कुल राशि को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण/संबंधित राज्य जैवविविधता पर्षद् द्वारा तय किए गए अनुपात में (जैसा भी मामला हो), साझा किया जाएगा।

7. लाभों का बंटवारा:

- जहां राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा अनुसंधान के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए या अनुसंधान के परिणामों के हस्तांतरण के लिए या बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए या तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, लाभ साझा करने का तरीका निम्नानुसार होगा:

(A) अर्जित लाभों का 5.0% एनबीए को जाएगा, जिसमें से आधी राशि एनबीए द्वारा रखी जाएगी और शेष आधी प्रशासनिक शुल्क के रूप में संबंधित राज्य जैवविविधता पर्षद् को दी जा सकती है।

(B) उपार्जित लाभों का 95% संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) और/या लाभ के दावेदारों को जाएगा।

बशर्ते कि जहां जैविक संसाधन या ज्ञान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या संगठनों के समूह से प्राप्त किया जाता है, ऐसी स्थिति में इस उपनियम के तहत प्राप्त राशि सीधे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठन को समझौते की शर्तों के अनुसार और इस तरह से कि जिसे उचित समझा जा सकता है; दी जाएगी।

बशर्ते इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में जहां लाभ के दावेदारों की पहचान नहीं की गई है, वहां ऐसी निधियों का उपयोग संबंधित जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की आजीविका को बढावा देने के लिए किया जाएगा।

(C) जहां इन विनियमों के तहत राज्य जैवविविधता पर्षद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है उपार्जित लाभों का बंटवारा निम्नानुसार होगाः

- राज्य जैवविविधता पर्षद अपने प्रशासनिक प्रभारों के लिए ज्यादा से ज्यादा अर्जित लाभों का 5% अपने पास रख सकता हैद्य शेष हिस्सा संबंधित बीएमसी को या लाभार्थी को जिसकी पहचान की गई हो, हस्तांतरित किया जाएगा।

  बशर्ते ऐसी स्थिति में जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठनों की पहचान नहीं की जा सकती हो, वहां ऐसी निधियों का उपयोग संबंधित जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की आजीविका को बढावा देने के लिए किया जाएगा।

8. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदनों का प्रक्रियानुसार निस्तारण (प्रसंस्करण):-

- राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण जैविक संसाधनों और उससे जुड़े ज्ञान के उपयोग से संबंधित आवेदन पर कोई निर्णय लेते समय राज्य जैवविविधता पर्षद, जैवविविधता प्रबंधन समिति जिनके अधिकार क्षेत्र में जैविक संसाधन और उससे जुड़े ज्ञान पड़ते हों, से परामर्श कर सकता है।

नोटः जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुँच के लिए आवेदन पत्र, उन्हें भरने के लिए दिशा-निर्देश और संबंधित अनुबंध एनबीए की वेबसाइटः www.nbaindia.org पर उपलब्ध हैं।

9. कुछ गतिविधियों या व्यक्तियों को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या राज्य जैवविविधता पर्षद् के अनुमोदन से छूट प्राप्त है-निम्नलिखित गतिविधियों या व्यक्तियों को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या राज्य जैवविविधता पर्षद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थातः-

(A) भारतीय नागरिक या संस्थाएं जो भारत में अनुसंधान या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए भारत में होने वाले या भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुँच प्राप्त कर रही हैं।

(B) सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं, जिसमें जैविक संसाधनों या संबंधित सूचनाओं का हस्तांतरण या आदान-प्रदान शामिल है, यदि ऐसी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को संबंधित मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्य अथवा केंद्र सरकार का विभाग या ऐसी सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप।

(C) जैविक संसाधनों के उत्पादकों और किसानों सहित क्षेत्र के स्थानीय लोग और समुदाय, और वैद्य और हकिम, बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के अलावा, स्वदेशी चिकित्सा का अभ्यास करते हैं।

(D) भारत में किसी भी कृषि, बागवानी, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन या मधुमक्खी पालन में पारंपरिक प्रजनन या पारंपरिक प्रथाओं के लिए जैविक संसाधनों तक पहुँच।

(E) किसी संगोष्ठी या कार्यशाला में शोध पत्रों का प्रकाशन या ज्ञान का प्रसार, यदि ऐसा प्रकाशन केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

(F) मूल्य सवर्धित उत्पादों तक पहुँच बनाना, जो ऐसे उत्पाद हैं जिनमें पौधों और जानवरों के अंश या अर्क होते हैं और जो पहचानने के अयोग्य और भौतिक रूप से अविभाज्य रूप में होते हैं।

(G) ऐसे जैविक संसाधन जो अधिनियम की धारा 40 के तहत केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वस्तुओं के रूप में कारोबार हेतु अधिसूचित है।

प्रपत्रा क (विनियम 2 देखिए)

आवेदक द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना स्वतः प्रकटन

उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित जैविक संसाधन का सामान्य नामः				
वैज्ञानिक नामः				
व्यापार किए जाने वाले पादप या प्राणी या उनके भागः				
जैविक संसाधनों के उपयोग का विशिष्ट प्रयोजनः				
अवस्थिति/स्त्रोत जहां से उपाप्त किए गए है'	मात्रा (किग्रा)	दर प्रति इकाई	राज्य जैवविविधता बोर्ड	भावी क्रेता/उपयोगकर्ता (यदि ज्ञात हो)

*स्थानीय निकाय/बीएमसी यदि पहले ही पहचान कर ली गई है तो सूची सलंग्न करें।

वचनबंध

मैंने एबीएस मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा मैं जैविक संसाधनों को लागू सुसंगत विधिक उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ।

मैं कथित प्रयोजन में कोई परिवर्तन करने से पूर्व एनबीए/एसबीबी का अनुमोदन अभिप्राप्त करने का वचन देता हूँ।

मैं, एनबीए/एसबीबी को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने/दिखाने का जब भी अपेक्षा हो, वचन देता है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि प्रारूप में दी गई सूचना सत्य और सही है तथा मैं किसी असत्य/गलत जानकारी और जानबूझकर तथ्यों को छिपाने के लिए उत्तरदायी होऊँगा।

हस्ताक्षर

व्यापारी/कंपनी/विनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम व व्यापारी/कंपनी/विनिर्माता का पता व फोन नं,: ई-मेल

स्थान दिनांक

भाग–2

जन जैवविविधता पंजी कार्य प्रणाली

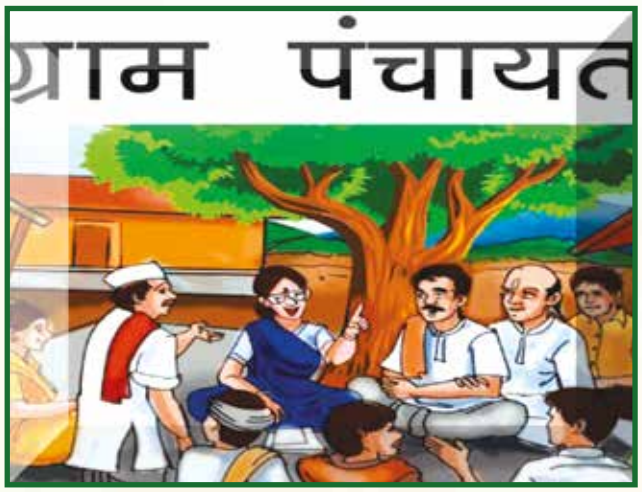

अध्याय–चार

जन जैवविविधता पंजीः एक परिचय

1. परिचयः जन जैवविविधता पंजी :

- प्रत्येक जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा अपने क्षेत्र में पाये जानेवाले जीव जन्तुओं, पेड़-पौधों, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से पंजी में सूचीकरण करना।
- जन जैवविविधता पंजी निर्माण के क्रम में ध्यान देने के बिंदु।
  - i. पंजी के निर्माण में ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित हो।
  - ii. सूचीकरण करने में स्त्री एवं पुरुष दोनों के ज्ञान एवं विचार को क्रमबद्ध करें।
  - iii. आमजन द्वारा एकत्रित सूचनाओं का तकनीकी सहायता समूह द्वारा विविध प्रकार से जाँच करके सच्चाई ज्ञात कर (Cross-checked) संग्रहण, विश्लेषण के बाद सूचीकरण करना।
  - iv. जन जैवविविधता पंजी वैधानिक आधार दस्तावेज है, इसलिए इसके दस्तावेजीकरण में पूर्ण सावधानी बरती जाएं
  - v. संबंधित बीएमसी के द्वारा जन जैवविविधता पंजी को स्वीकार करने के बाद में आमजनों को सभा के माध्यम से इसकी सूचना देना।
- जैवविविधता प्रबंधन एवं इसके सतत उपयोग में पंजी बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है।
- नियत समय पर पंजी को नये आँकड़ों एवं जानकारियों से अद्यतन करा जाएगा।

2. जन जैवविविधता पंजी निर्माण की प्रक्रियाः जन जैवविविधता पंजी के निर्माण में वैसे अधिक-से-अधिक संख्या में लोगों का जो अपना विशेष एवं सामूहिक ज्ञान को आदान प्रदान करना चाहते हैं, का सक्रिय सहायता एवं सहयोग किया जाता है। जन जैवविविधता पंजी निर्माण के प्रथम चरण में अभ्यास के उद्देश्य एवं प्रायोजन को वर्णन करने के लिए एक समूह बैठक आयोजित की जाती है। आँकड़ों के संग्रहण हेतु गाँव से विभिन्न सामाजिक समूहों को चिन्हित किया जाता है। दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में जानकार व्यक्ति के साथ विस्तृत प्रश्नोत्तरी एवं केन्द्रित सामूहिक चर्चा एवं सहायक सूचनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं संग्रहित की जाती है।

- जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन।
- अध्ययन सर्वेक्षण एवं प्रबंधन के विषय में जन जागरूकता फैलाना।
- जैव संपदा से संबंधित पारंपरिक ज्ञान एवं आँकड़ों का पहचान एवं संग्रहण हेतु सदस्यों का प्रशिक्षण।
- आँकड़ों का संग्रहण।
- तकनीकी सहायता समूह एवं जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा विचार विमर्श कर संग्रहीत आँकड़ों का विश्लेषण एवं सत्यापन करना।

- जन जैवविविधता पंजी का निर्माण।
- संग्रहित सूचनाओं एवं आंकडों का कम्प्यूटरीकरण।

3. जैवविविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण: जैवविविधता एवं इसके उपयोग से संबंधित व्यक्तिगत ज्ञान का समायोजन जन जैवविविधता पंजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय जैवविविधता से संबंधित प्रमाणित ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने हेतु समुचित प्रयास करना चाहिए। वैसे बुजुर्ग व्यक्ति जो जैवविविधता से संबंधित ज्ञान रखते है। वैसी प्रजातियाँ जो कि भूतकाल में अधिकाधिक एवं वर्तमान में नहीं के बराबर पायी जाती है, को विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में केन्द्रित सामूहिक चर्चा किया जा सकता है।

4. जन जैवविविधता पंजी का कार्य प्रणाली : जन जैवविविधता पंजी निर्माण एक जन भागीदारी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के साथ सघन एवं विस्तृत परामर्श की आवश्यकता होती है। समूह बैठक कर जिसमें पंचायत, जैवविविधता प्रबंधन समिति के सदस्य, छात्र, जानकार व्यक्ति और वे सभी जो इसमें अभिरूचि रखने वाले हों, की उपस्थिति में उद्देश्य एवं प्रायोजन का ब्यौरा देना चाहिए। दस्तावेजीकरण में फोटोग्राफ, चित्रांकन, श्रवणीय एवं अन्य रिकॉर्डस जैसे मुद्रित सामग्री आदि का समायोजन होना चाहिए।

5. जन जैवविविधता पंजी का निर्माण:

- समितियां पहले तो अपने कार्यक्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक सम्पत्ति के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों तथा आमंत्रित सदस्यों से मोटी-मोटी जानकारी लें।
- इस विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन करें, उसे देखें, समझे।
- अपने कार्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक सम्पत्ति को एक पंजी में दर्ज कराएं।
- जन जैवविविधता पंजी बनाना एक बृहत् कार्य है जिसके निर्माण में वे अपने क्षेत्र के पढें-लिखे नौजवानों, विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, स्वैच्छिक संस्था के सदस्यों, वन समितियों, शिक्षकों आदि की सहायता ले सकते हैं।
- मार्गदर्शन के लिए विषय के जानकारों अथवा विशेषज्ञों से विशेष मदद लें। साथ ही पर्षद् द्वारा गठित जिला स्तरीय जैवविविधता तकनीकी सहायता समूह से मार्गदर्शन एवं सहायोग प्राप्त कर सकते हैं।
- जैवविविधता पंजी में जहां एक ओर स्थानीय जानकार लोगों द्वारा दी गई जानकारी होगी वहीं दूसरी ओर इस जानकारी का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण भी होगा।
- इन पंजियों के आधार पर पंचायत, प्रखण्ड, जिला और राज्य स्तरीय जैवविविधता सूचना तंत्र को बनाने में मदद मिलेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से जैव संसाधन संबंधी अपने कार्य की जानकारी स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी। यहां यह समझना जरूरी है कि पंजी तैयार करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय-समय पर जानकारिया जुड़ती रहेगी।

6. यह पंजी (दस्तावेज) बन जाने से एक रिकॉर्ड समितियों के पास रहेगा जिसका उपयोग निम्न कार्यों में किया जाएगा:

- चिन्हित जैव संसाधनों के संरक्षण और उसके सतत उपयोग पर आधारित स्थानीय निकायों की योजना बनाने में।
- जैव संसाधन आधारित आजीविका के साधन बढ़ाने में।
- जैविक सम्पदा के संग्राहकों को संगठित नियत तरीके से संग्रहण (ताकि समूह नष्ट न हो), उसके प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था विकसित करने में एवं यदि संभव हो तो प्रसंस्करण इकाई लगाने में।
- जैविक सम्पत्ति के वाणिज्यिक उपयोग पर शुल्क तय करने में।
- जैवविविधता पंजी अपनी जैविक सम्पदा और उससे संबंधित स्थानीय ज्ञान पर अपना बौद्धिक अधिकार स्थापित करने में सहायक हो सकती है।
- देशज ज्ञान (Traditional Knowledge) को सम्मान दिलाने एवं पुनर्जीवित करने में।

7. जन जैवविविधता पंजी एवं राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की भूमिका: जैवविविधता प्रबंधन समिति को जन जैवविविधता पंजी को तैयार करने में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority) राज्य जैवविविधता पर्षद द्वारा जरूरी दिशा-निर्देश एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

8. जन जैवविविधता पंजी एवं जैवविविधता पर्षद की भूमिका: जिलों के तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) के सुचारू रूप से संचालन एवं जन जैवविविधता पंजी के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु इन्हें राज्य जैवविविधता पर्षद आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

9. जन जैवविविधता पंजी एवं तकनीकी सहायता समूह की भूमिका: तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) में मुख्य रूप से संबंधित विभागों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों से विशेषज्ञ एवं गैर सरकारी संस्थाएं सम्मिलित होंगे। जैवविविधता प्रबंधन समितियों को पेड़-पौधों एवं पशुओं की पहचान, जन जैवविविधता पंजी के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन गोपनीय सूचनाओं का परीक्षण एवं कानूनी सुरक्षा पर सलाह हेतु आवश्यक तकनीकी निवेश एवं सुझाव तकनीकी सहायता समूह द्वारा प्रदान की जाएगी।

अध्याय–पाँच

स्थानीय सामान्य विवरणी एवं प्रपत्र

जैवविविधता पंजी निर्माण की तारीख _____ माह : _____ वर्ष : _____

प्रखण्ड : _____ जिला : _____ राज्य : _____

ग्राम पंचायत का नाम :		ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्रामों के नाम :	
पंचायत का भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में):		ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्याः	
पंचायत का कुल पुरूष	पंचायत का कुल महिला	पंचायत का साक्षरताः	पंचायत का निवास स्थान एवं स्थलाकृति : (जैसे समतल पठारी मैदानी)
जलवायु का विवरण	औसतन वर्षा	औसतन तापमान	मौसम का अन्य विवरण

भूमि का उपयोग (ग्रामीण दस्तावेज में उपलब्ध भूमि का नौ गुणा वर्गीकरण (जनगणना 2011 के अनुसार)								
वन भूमि	गैर कृषि उपयोग	बंजर भूमि	चारागाह	विविध Misc Trees Crop	कृषि योग्य खाली भूमि	परती भूमि	वर्तमान परती भूमि	शुद्ध रोपित क्षेत्र
आरक्षित क्षेत्र (हेक्टेयर में)			संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) (पी.एफ.) (हेक्टेयर में)					
सयुंक्त वन प्रबंधन			सामुदायिक हक का वन क्षेत्र है या नहीं अगर है तो उनका क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) -					

प्रपत्र - एक

पंचायत की जैवविविधता प्रबंधन समिति का विस्तृत विवरण

(स्थानीय निकाय द्वारा चयनित अध्यक्ष और छ सदस्य, जिसमें कम से कम एक तिहाई महिला (2) तथा 36 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (3) के हो)

क्र. स.	नाम एवं पिता/पति का नाम	पदनाम	उम्र	लिंग	पत्राचार का पूरा पता एवं मोबाइल/ई-मेल.	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय	जानकारी/ अनुभव का विषय
1.		अध्यक्ष						
2.		सदस्य						
3.		सदस्य						
4.		सदस्य						
5.		सदस्य						
6.		सदस्य						
7.		सचिव						

प्रपत्र - दो

पंचायत के वैद्य, हकिम एवं परम्परागत इलाज में निपुण व्यक्ति

(मनुष्य और पशु का इलाज करने वाले एवं / अथवा पंचायत के अधीन उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों की सूची)

क्र. स.	नाम	उम्र	लिंग	पता एवं मोबाइल	किस कार्य के विशेषज्ञ	जैव संसाधन का नाम एवं प्रप्ति का स्थान	सम्बंधित जैव संसाधन उपलब्धता/वर्तमान स्थिति पर उनकी टिप्पणी	औषधीय उपयोग की जानकारी

प्रपत्र - तीन

ग्रामीणों द्वारा प्राप्त विशिष्ट जानकारों की सूची

(कृषि, मत्स्य एवं वानिकी की जैवविविधता में परम्परागत ज्ञान की जानकारी वाले)

क्र.स.	नाम	उम्र	लिंग	पता एवं मोबाइल	दक्षता का क्षेत्र

प्रपत्र - चार

जैवविविधता पंजी के निर्माण से संबद्ध विद्यालय, महाविद्यालय, विभाग, विश्वविद्यालय, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं एवं अन्य विशेष का विवरण :

क्र.स.	व्यक्ति या संस्था का नाम	पत्राचार का पूरा पता सम्पर्क नम्बर एवं ई-मेल

(यदि आवश्यकता हो तो और संस्थाएं/गैर सरकारी संस्थाएं/विशेष व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं।)

प्रपत्र - पांच

पंचायत द्वारा अन्य को जैव संसाधन एवं परम्परागत ज्ञान का उपयोग हेतु दी गयी स्वीकृति लगाए गए संग्रह शुल्क एवं प्राप्त लाभ के वितरण की विवरणी :

क्र.स.	फायदा लेने वाले व्यक्ति/संस्था/कंपनी/अन्य का नाम एवं पता मोबाइल/ई-मेल सहित	ली गयी जैविक सामग्री का स्थानीय/वैज्ञानिक नाम एवं मात्रा (किलो/ली.) में	बीएमसी प्रस्ताव की तिथि तथा पंचायत के अनुमोदन की तिथि	संग्रहण दर लगाये गए शुल्क का विवरण	लाभ वितरण की अपेक्षित प्रणाली या लाभ की मात्रा (रु.में)

अध्याय–छः

स्थानीय जैवविविधता के दस्तावेजीकरण हेतु प्रपत्र

1. स्थानीय कृषि जैवविविधता

प्रपत्र- 1 फसल वाले पौधे

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
फसल	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	किस्म/ प्रजाति	भूमि प्रकार/ वास स्थान	दिखाया गया अनुमानित क्षेत्रफल	स्थानीय स्थिति		विशेषगुण	फसल के मौसम	उपयोग	सम्बंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	बीज/ पौधों के स्रोत	समुदाय/ जानकारी रखने वाले
						भूतकाल	वर्तमान							

कॉलम-1 का उपयोग बाजरा, अनाज, तेलहन, वाणिज्यिक फसलें, कन्द-मूल वाले फसल, सब्जी, दलहनी एवं सुगंधित फसल इत्यादि के संबंध में सूचना हेतु किया जा सकता है।

कॉलम-12 - अन्य विवरण में फसल प्रकृति/गुण के साथ बदलेगा। स्थानीय स्थिति मापने हेतु विशेष वर्ष को चिन्हित करने की आवश्यकता होगी। पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण बदलाव एवं पूर्व एवं वर्तमान स्थिति में तुलना - (पूर्व विशेष घटना के पहले।)

प्रपत्र - 2 फलदार पौधे

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
पौधा का नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	किस्म/ प्रजाति	भूमि प्रकार/ वास स्थान	स्थानीय स्थिति		बीज/पौधों के स्रोत	फल लगने के मौसम	सम्बंधित पारंपरिक ज्ञान	उपयोग	अन्य विवरण बाजार/स्वयं उपयोग	समुदाय/जानकारी रखने वाले
					भूतकाल	वर्तमान						

प्रपत्र - 3 चारा वाले फसल/प्रजाति

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
पौधा का नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	भूमि प्रकार/ वास स्थान	स्थानीय स्थिति		बीज/पौधो के स्रोत	सम्बंधित पारंपरिक ज्ञान	उपयोग का भाग	अन्य विवरण	समुदाय/जानकारी रखने वाले
				भूतकाल	वर्तमान					

अन्य विवरण में चारा जिस पशु से संबंधित है चारे की विशेषता, औषधीय उपयोग यदि (किसी प्रकार), उपलब्ध होने का मौसम, प्रचलित विधि, वन या खेती से सग्रह का विवरण समावेश किया जा सकता है।

प्रपत्र-4 घास-पतवार

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
पौधा	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	प्रभावित फसल	प्रभाव	भूमि प्रकार/ वास स्थान	स्थानीय स्थिति		उपयोग यदि कोई हो तो	प्रबंधन विकल्प	सम्बंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण जैसे-आकर्षक (Exotic)	समुदाय/ जानकारी रखनेवाले
						भूतकाल	वर्तमान					

नोट : अन्य विवरण में क्षेत्र में घास-पतवार कितने समय तक फसल पर आक्रमण करते हैं। ये कब से जानकारी में आये प्राकृतिक विस्तार का वर्णन आदि को समावेश किया जा सकता है।

चकोर

कॉंटा गांधारी

हिरन खुरी

केना साग

जंगली पुदीना

प्रपत्र - 5 फसलों का संक्रमण (फसलों में लगने वाले कीड़े-मकोड़े)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आतिथ्य (Host)	कीट / पशु	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय नाम	वास स्थान	आक्रमण का समय / मौसम	कीड़े से बचने के उपाय (प्रबंधन की प्रक्रिया)	सम्बंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय / जानकारी रखने वाले

अन्य विवरण में आक्रमण के कारणों को सम्मिलित किया जा सकता है।

पत्ती वाले कीट

पत्ती वाले फतंगी

फल वाले कीट

टीड्डा

तना वाले कीट

प्रपत्र-6 पालतु पशुओं का बाजार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बाजार का नाम एवं स्थान	साप्ताहिक (D) अर्द्धमासिक (D) मासिक (D) अर्द्धवार्षिक (M) वार्षिक (M)	विभिन्न प्रकार के पशुओं का क्रय-विक्रय	एक दिन में खरीदे और बेचे जाने वाले पशुओं के प्रकार एवं औसत संख्या	स्थान जहाँ से पशु लाये जाते हैं	स्थान जहाँ के लिए पशु बेचे-भेजे जाते हैं	मछली बाजार का नाम एवं स्थान	बेचे जाने वाले मछली के प्रकार	मछली के स्रोत

नोट : *[1]* *D* - दिन, *M* - महीना

[2] पशु के प्रकार मुर्गी-पालन, भेड़-बकरी, गाय, बैल, भैंस, सूकर, बत्तख, गया आदि।

प्रपत्र - 7 समुदाय प्रकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समुदाय एवं जनसंख्या	परिवार एवं मुख्य पेशा	उप पेशा	आश्रित भूमि प्रकार	मुख्य पहुँच स्रोत एवं पहुँच का मौसम (Major resources accesed and seasons of access)	भूमि प्रबंधन कार्य प्रणाली	स्रोत प्रबंधन कार्य प्रणाली	जाति/ वर्ग	सामाजिक स्थिति	वास की प्रकृति	परिवारों की संख्या

प्रपत्र - 8 भूमि प्रकार

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रमुख भूमि प्रकार			उप भूमि प्रकार	विशेषताएं एवं अनुमानित क्षेत्र	स्वामित्व	सामान्य वनस्पति	सामान्य जीव-जन्तु	उपयोगकर्ता समूह	प्रबंधन कार्य प्रणाली	सामन्य उपयोग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरणी	सामुदय पहुँच
कृषि भूमि	तालाब	परती भूमि											

प्रपत्र - 9 जल प्रकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जल स्रोत एवं प्रकार	उप प्रकार	विशेषताएं एवं अनुमानित क्षेत्र	स्वामित्व	सामान्य वनस्पति	सामान्य जीव-जन्तु	मुख्य उपयोग	उपयोग कर्ता समूह	प्रबंधन कार्य प्रणाली	सामान्य उपयोग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरणी	सामुदाय पहुँच

प्रपत्र - 10 मिट्टी के प्रकार

1	2	3	4	5	6	7	8
मिट्टी के प्रकार	रंग एवं संरचना	विशेषताएं	मिट्टी प्रबंधन	उपयुक्त पौधे/ फसल	वनस्पति एवं जीव- जन्तु	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य सूचनाएं

ii. स्थानीय घरेलु पौधों (फलदार, औषधीय, सजावटी, काष्ठीय इत्यादी) की जैवविविधता

प्रारुप - 11 फलदार वृक्ष

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
पौधा का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म/प्रजाति	भूमि प्रकार/वास स्थान	स्थानीय स्थिति		बीज/पौधों के स्रोत	फल लगने के मौसम	उपयोग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण बाजार/स्वयं उपयोग	समुदाय/जानकारी रखने वाले
					भूतकाल	वर्तमान						

प्रारुप - 12 औषधीय पौधे (जड़ी बूटी, झाड़ी, वृक्ष इत्यादि)

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
पौधा का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म/प्रजाति	भूमि प्रकार/वास स्थान	बीज/पौधों के स्रोत	स्थानीय स्थिति		उपयोग	उपयोग का भाग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण बाजार/स्वयं उपयोग	समुदाय/जानकारी रखने वाले
						भूतकाल	वर्तमान					

नोट उपयोग कालम (8) में भोजन/पशु चिकित्सा/मानव चिकित्सा (उप विभाग जैसा कि बच्चों, महिलाओं आदि के लिए)/कृषि उद्देश्य (जैवीय कीट नाशक)।

अन्य विवरण कालम (11) में खेती करने की विधि/फसल काटने का समय/खेती किया हुआ या जंगल से संग्रह किया हुआ या दोनों से प्राप्त होता है बारहमासी/मौसमी/वार्षिक

प्रपत्र - 13 विभूषक पौधे/वृक्ष/लता इत्यादि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पौधा का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म/प्रजाति	बीज/पौधों के स्रोत	वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक	उपयोग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय/जानकारी रखने वाले

प्रपत्र - 14 काष्ठीय पौधे/वृक्ष

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
पौधा का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	वास स्थान	स्थानीय स्थिति		जंगली/घरेलु बगीचा	अन्य उपयोग (बहुरूपीय)	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय/जानकारी रखने वाले
				भूतकाल	वर्तमान					

प्रपत्र - 15 पालतु पशु

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
पशु के प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	नस्ल (स्थानीय/हाईबीड)	विशेषताएं	पालने के तारीके	स्थानीय स्थिति		उपयोग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	व्यवसाय के लिए पालन	उत्पाद एवं सेवा का अन्य विवरण	समुदाय/जानकारी रखने वाले
						भूतकाल	वर्तमान					

पशु के प्रकार कॉलम (1) में भेड़/बकरी/गाय-बैल/बत्तख/सुअर/गधा आदि लिखा जा सकता है। उपयोग कॉलम (8) में दूध, मांस, चमडा, पंख आदि लिखा जा सकता है।

प्रपत्र - 16 सांस्कृतिक मत्स्य पालन

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
मछली के प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म/प्रजाति	विशेषताएं	जल स्रोत (तालाब, नदी, झील)	स्थानीय स्थिति		उपयोग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	व्यवसाय के लिए पालन	अन्य विवरण	समुदाय/जानकारी रखने वाले
						भूतकाल	वर्तमान					

अन्य विवरण कॉलम (11) में मछली पकड़ने के तरीके, उपलब्धता का समय, प्रजनन कॉलम एवं भोजन का समावेश किया जा सकता है।

iii) स्थानीय विभिन्न प्रकार की जैवविविधता

प्रपत्र - 17 पालतु पशुओं/औषधीय पौधों एवं अन्य उत्पादों का बाजार/मेला

1	2	3	4	5	6	7	8	9
साप्ताहिक बाजार/मेले का नाम	स्थान	सप्ताहिक (D)/ अर्द्धमासिक (D)/ मासिक (D)/ अर्द्धवार्षिक (M)/ वार्षिक (M)	लगने का दिन	छः मासिक या वार्षिक मेला/बाजार के संबंध में महीना	पशुओं के प्रकार जो खरीदे और बेचे जाते हैं	पशुओं की औसतन मात्रा जो प्रतिदिन खरीदें या बेचे जाते हैं	स्थान जहाँ से पशु लाये जाते हैं	स्थान जहाँ के लिए पशु बेचे एवं भेजे जाते हैं

नोट : कॉलम (3) मे D- दिन, M- महीना, कॉलम (6) में पशु के प्रकार - मुर्गी पालन, भेड़-बकरी, गाय, बैल, बत्तख, गधा, आदि अंकित किया जा सकता है।

प्रपत्र - 18 वृक्ष, झाड़ी, जड़ी-बूटी कंद-मूल घास, लत्ता इत्यादि

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
पौधो का प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	प्रकृति/स्वभाव (Habit)	वास स्थान	स्थानीय स्थिति		व्यवसायिक/ स्वयं उपयोग	संग्रहित भाग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय/जानकारी रखने वाले
					भूतकाल	वर्तमान					

धेला	कदम्ब	वाकस	कलिहारी	जंगली बेदाम

प्रपत्र - 19 : महत्व वाले वन्य पौधों की प्रजातियां

1	2	3	4	5	6
क्र.स.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म/प्रजाति	महत्व (जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि)	स्थिति

करम	सिल्हंति	अकवन	धतूरा	गुँजा

प्रपत्र - 20 जलीय जैवविविधता

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म/प्रजाति	विशेषताएं	वास स्थान	स्थानीय स्थिति		उपयोग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय/जानकारी रखने वाले
					भूतकाल	वर्तमान				

अन्य विवरण में - मछली पकड़ने के तरीके, उपलब्धता, प्रजनन के समय आदि।

		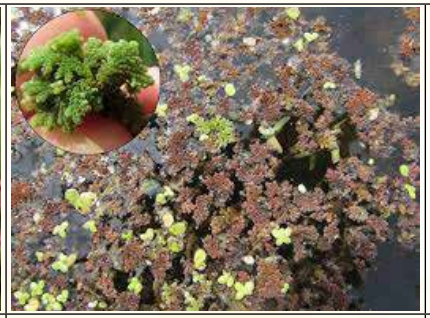	
गोखुल जामुन	सौरिअरक	अजोला	जल धनिआ

प्रपत्र - 21 महत्व वाले वन्य जलीय पौधों की प्रजातियां

1	2	3	4	5	6
क्र.स.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म/प्रजाति	महत्व	प्रचलन

सुंसुनिया साग	तोपापाना	गारुंदि	जल कुम्भि	सिंघडा

प्रपत्र - 22 औषधीय महत्व वाले जंगली पौधे

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
पौधे (झाडी जड़ी-बूटी वृक्ष)	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म/ प्रजाति	भूमि प्रकार/ वास स्थान	स्थानीय स्थिति		संबंधित पारंपरिक ज्ञान	उपयोग	उपयोग का भाग	अन्य विवरण बाजार/स्वयं उपयोग	समुदाय/ जानकारी रखने वाले
					भूतकाल	वर्तमान					

सम्दुदरि	भांट	झैंति	पलाश	बैर

उपयोग- भोजन, पशु-औषधि, मानव-औषधि (जैसे-बच्चे, महिलाएं आदि), कृषि उद्देश्य (जैविक कीटनाशक) आदि। अन्य विवरण में - काटने का समय, बारहमासी/ मौसमी/वार्षिक को समावेशित किया जा सकता है।

प्रपत्र - 23 वन्य संबंधी फसलें

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	संबंधित फसल	भूमि प्रकार / वास स्थान	स्थानीय स्थिति		उपयोग	उपयोग का भाग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय / जानकारी रखने वाले
				भूतकाल	वर्तमान					

फूटकल

कुंदरी

खुखरी

जामुन खुखरी

कटाई साग

अन्य विवरण में - किसी खास पौधे के अनुपस्थिति में प्रयोग किए जाने वाले पौधों का कार्य को समावेशित किया जा सकता है।

प्रपत्र - 24 आभूषण वाले पौधे

1	2	3	4	5	6	7	8
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म / प्रजाति	वास स्थान	व्यवसायिक / गैर व्यवसायिक उपयोग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय / जानकारी रखने वाले

प्रपत्र - 25 : धुंआ देने वाले / चबाने वाले पौधे (Fumigate/Chewing Plants)

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
पौधे (झाड़ी, जड़ी-बूटी, वृक्ष)	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	किस्म / प्रजाति	वास स्थान	स्थानीय स्थिति		उपयोग	उपयोग का भाग	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण (उपयोग के तरीके)	समुदाय / जानकारी रखने वाले
					भूतकाल	वर्तमान					

iv) स्थानीय शहरी वनस्पति व जीव-जंतु जैवविविधता

प्रपत्र - 26 वनस्पति

1	2	3	4	5	6	7
क्र. स.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	पौधों का प्रकार	वास स्थान	फूल लगने का मौसम	अभियुक्ति (दुर्लभ/सामान्य)

प्रपत्र - 27 इमारती पौधे

1	2	3	4		5	6	7	8
स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	वास स्थान	स्थानीय स्थिति		अन्य उपयोग (यदि कोई हो तो)	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	अन्य विवरण	समुदाय/जानकारी रखने वाले
			भूतकाल	वर्तमान				

प्रपत्र - 28 झारखण्ड राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है।

प्रपत्र - 29 जंगली जानवर (स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, कीड़ा-मकोड़ा अन्य)

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
पशु के प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	वास स्थान	वर्णन	मौसम जब देखा जाता है	स्थानीय स्थिति		उपयोग (यदि कोई)	संबंधित पारंपरिक ज्ञान	शिकार, सग्रहण के तरीके (यदि कोई)	अन्य विवरण	समुदाय/जानकारी रखने वाले
						भूतकाल	वर्तमान					

नोट : सड़क किनारे के पौधे/पार्क एवं बगीचा/घरेलू रियासत वाणिज्यिक भवन/अन्य संस्थागत क्षेत्र, निजी क्लब एवं जलीय एवं स्थलीय (क्षेत्रफल हेक्टेयर) पौधे हेतु अलग से प्रपत्र का उपयोग करना होगा।

प्रपत्र - 30 जीव-जंतु

1	2	3	4	5	6
क्र. स.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	जंतु का प्रकार (स्तनधारी/पक्षी/मछली/कीड़ा-मकोड़ा इत्यादि)	वास स्थान	अभियुक्ति (दुर्लभ/सामान्य)

प्रपत्र - 31 स्थानीय महत्व वाले अन्य सूचनायें

1	2	3
क्र.स.	स्थानीय महत्व वाले सूचनायें	अभियुक्ति

(v) स्थानीय सामाजिक-आर्थिक वर्णन

सामान्य वर्णन

पंचायत / प्रखंड / जिला	भौगोलिक स्थिति	प्रखंड	जिला	नियामक (GPS Coordinate)	पहुँच के साधन

जनसंख्या एवं साक्षरता दर :

विवरणी	सदस्यों की संख्या			साक्षरता दर		
	18 वर्ष से कम	18-65 वर्ष	65 वर्ष से अधिक	04-18 वर्ष	18-65 वर्ष	65 वर्ष से अधिक
पुरूष						
महिला						
कुल						

पेयजल स्रोत एवं शौचालय की स्थिति :

विवरणी	स्रोत					शौचालय	
	चापानल	कुंआ	तालाब	नदी	अन्य	उपस्थित	अनुपस्थित
संख्या							

भूमि स्वामित्व एवं घरों के प्रकार : (1 कट्ठा - 720 वर्ग फिट; 1 बिगहा - 14400 वर्ग फीट)

विवरणी	कृषि भूमि				घरों के प्रकार	
	5 कट्ठा तक	5 कट्ठा -1 बिगहा	1-5 बिगहा	5 बिगहा से अधिक	कच्चा	पक्का
परिवार संख्या						

रोजगार / पेशा :

विवरणी	पेशा						
	कृषि	मत्स्य	पशुपालन	व्यवसाय	उत्पादकर्ता	अन्य असंगठित श्रमिक	संगठित श्रमिक
परिवार संख्या							

मासिक पारिवारिक आय : आय (रूपयों में)

विवरणी	5000 तक	5000-10000	10000-20000	20000-40000	40000 से अधिक
परिवार संख्या					

स्वास्थ्य सेवा एवं पारंपरिक औषधियों पर निर्भरता :

ग्राम	स्वास्थ्य सेवा		पारम्परिक औषधियों पर निर्भरता का विवरण
	अस्पताल	उपचार केंद्र	

ईंधन उपयोग एवं स्रोत :

परिवार संख्या	ईंधन प्रकार	स्रोत

रोजमर्रा का भोजन : भोजन प्रकार

विवरणी	प्रमुख भोजन (भात/रोटी)	दाल	साग-सब्जी	तिल्हन	मीट, मछली, अंडा	अन्य

पालतु पशु : पशु के प्रकार

विवरणी	गाय	बैल	भैंस	बकरी	भेड़	सुअर	मुर्गी	बतख
पशुओं की संख्या								

लोगों में जैवविविधता से सम्बंधित जागरुकता :

विवरण	परिवार संख्या
जैवविविधता के बारे में जानकारी है।	
जैवविविधता के बारे में जानकारी नहीं है।	

vi. स्थानीय जन जैवविविधता पंजी प्रमाण पत्र

Certificate for People's Biodiversity Register

CERTIFICATE

(as per Rule 20(10) of the Jharkhand Biological Diversity Rules, 2007)

This People's Biodiversity Register (PBR) has been endorsed vide resolution no………….. dt………….. by the ………………………….Biodiversity Management Committees (BMC) under the supervision and guidance of ……………………….…….…………………………a NGO/National Institution/ Organization under the overall supervision of **Jharkhand Biodiversity Board**. The data has been processed, analyzed and interpreted by ……………..……………………………..a NGO/ National Institution/Organization, Biodiversity Board, school teachers, subject matter specialists, students & others. This is the I/II/III/final phase of preparation of PBR.

Biodiversity Management Committees

1. Chairman signature with seal & date — signature with seal & date
2. Secretary of BMC (if appointed) — signature with seal & date
3. Counter signature of representative of NGO/organization/individual involved in PBR exercise.

Counter Signature with seal & date
Member Secretary, JBB
or
Authorized official of JBB

भाग 3

राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा झारखण्ड से एकत्रित एवं संरक्षित आर्थिक रूप से मूल्यवान वनस्पतीय प्रजातियाँ तथा अत्यंत संरक्षण की प्राथमिकता वाली प्रजातियाँ

अध्याय–सात

राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार
से साभार

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
1.	आमहल्दी, जंगलीहल्दी, करकुमा, आमदी, वायदी	*Curcuma amada*
2.	बाजरा, कटुआ बाजरा,	*Pennisetum typhoides*
3.	अद्रक, आदिक	*Zingiberofficinale*
4.	बकैनी	*Melia azedarach*
5.	अगस्ती	*Sesbania grandiflora*
6.	बाकला, साहेब सेम्बी, केराऊ, बाँकलसुरी, बांग्ला/बकला,	*Vicia faba*
7.	अजवायन	*Trachyspermum ammi*
8.	वन मेथी	*Crotolaria alata*
9.	अकरकरा	*Spilenthespaniculata*
10.	वन धनिया	*Carum villosum*
11.	अकपट्टी	*Rivea mate*
12.	वन धेई	*Crinum difixum*
13.	अकवानी	*Calotropis procera*
14.	वन निम्बू	*Glycosmis pentaphylla*
15.	अलकुसियो	*Mucuna utilis*
16.	वन पियाजी	*Urginea indica*
17.	सारे मसाले	*Pimenta dioica*
18.	वन बुत	*Flemingia macrophylla*
19.	अमलताशी	*Cassia fistula*
20.	बाँदा	*Dendrophthoe falcata*
21.	अमरलट्टी	*Cuscutare flexa*
22.	बंदर लावी	*Cassia sp-*
23.	अमरा,	*Spondias mangifera*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
24.	बंकाप्सी, कापासो	*Thespesia lampas*
25.	अमरुद	*Psidium guajava*
26.	बांकुंडरी	*Trichosanthes cucumerii*
27.	अनानस	*Ananas comosus*
28.	बनपियाजी	*Crinum sp-*
29.	अनापरुगा	*Pothos scandens*
30.	वन बांस	*Bambusa sp-*
31.	अंतमूल, दुधिलता	*Hemidesmus indicus*
32.	बड़ा निम्बु	*Citrus medica*
33.	आंवला	*Phyllanthus officinalis*
34.	बरब्राह्मी, बेंगसाग, ब्राह्मी	*Centella asiatica*
35.	अरंडी	*Ricinus communis*
36.	बराई	*Vinga radiata*
37.	अर्जुन	*Terminalia arjuna*
38.	बरसेम, बोरा बीन, सेनबा, बरसेम्मा, भालु सुप्ली	*Canavalia ensiformis*
39.	अरारोट, अरारोट	*Maranta arundinacea*
40.	बरगद	*Ficus bengalensis*
41.	अरु	*Dioscorea glabra*
42.	बरहाली	*Artocarpus lakoocha*
43.	आसन, साजा	*Terminalia tomentosa*
44.	बडी इलायची	*Amomum subulatum*
45.	अशगौर्ड, रक्षा कोहरा, सदा कुमराह, सिरीस्कोरहा	*Benincasa hispida*
46.	बरियारी	*Sida humilis*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
47.	अशोक	*Saraca asoca*
48.	बरियारी	*Sida acutifolia*
49.	अश्वगंधा	*Withania somnifera*
50.	बरियारी	*Sida cordifolia*
51.	असोदो	*Cyanotis tuberosa*
52.	बरियारी	*Sida rhombifolia*
53.	अवकाडो	*Persea americana*
54.	बसाक	*Adhatoda vasica*
55.	अजवाइन	*Carum copticum*
56.	बासमती	*Pandanus amaryllifolius*
57.	बबुली	*Acacia nilotica*
58.	बथुया	*Chenopodium album*
59.	बद्दम, चिनिया बादामी	*Arachis hypogaea*
60.	बाउक्चि	*Psoralea corylifolia*
61.	बड़ी पुदीना, काली मिर्च पुदीना	*Mentha piperita*
62.	बिया, रंगनी, टोकामो	*Solanum sp-*
63.	बेल	*Aegle marmelos*
64.	बीन, सेम्बी, फ्रेंच बीन, राजमा, राजमाशी	*Phaseolus vulgaris*
65.	बगनाकि	*Martynia diandra*
66.	बेंगना पट्टी	*Vitex negundo*
67.	बहा	*Caladium sp-*
68.	बेंगसाग	*Crataeva religiosa*
69.	बहेरा, हरे	*Terminalia belerica*
70.	हिट	*Ziziphus jujuba var- fruticosa*
71.	बैबिरंग	*Embelia ribes*
72.	चंदन	*Santalum album*
73.	हिट	*Ziziphus mauritiana*
74.	चराइगोरबा	*Vitex peduncularis*
75.	हिट	*Ziziphus sp-*
76.	छठैल, घी करैला, खेकसां	*Momordica dioica*
77.	भांग, गंज	*Cannabis sativa*
78.	चाटनी	*Alstonia scholaris*
79.	भरंगी, घाटो, समरकणी	*Clerodendron serratum*
80.	चौला	*Erythrina indica*
81.	भार्मी	*Ocimum canum*
82.	छोटाब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी साग, ताल ब्राह्मी	*Bacopa monierii*
83.	भेलवा, जंगलीकाजू	*Semecarpus anacardium*
84.	चिचिंगा	*Trichosanthes anguina*
85.	भेंगरिया	*Tridax procumbens*
86.	चीकू	*Achras sapota*
87.	भिन्डी	*Abelmoschus esculentus*
88.	चिनारोसा	*Hibiscus rosa & chinensis*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
89.	भीरिंग राजो	*Eclipta prostrata*
90.	चिरचिरि	*Achyranthes aspera*
91.	भृंग राजो	*Eclipta alba*
92.	चित्रक	*Plumbago zeylanica*
93.	भुई अंब्ला	*Phyllanthus niruri*
94.	चोपोट / सालपर्णी	*Desmodium gangeticum*
95.	भुई चंपा	*Premna herbacea*
96.	छोटी बबुली	*Acacia farnesiana*
97.	भुई कुंभी	*Dillenia pentagyna*
98.	छोटी इलायची	*Elettaria cardemomum*
99.	भुइओंला	*Phylanthus prostata*
100.	चुक्का	*Croton oblongifolius*
101.	भुइओंला	*Phyllanthus amarus*
102.	कॉफी	*Coffea arabica*
103.	भुइचम्पा	*Kaempferia pulchra*
104.	कोइक्स, मकैया जनेरे	*Coix lacryma&jobi*
105.	भुइकमाली	*Elephantopus scaber*
106.	आलुकी	*Colocasia sp-*
107.	भुसरीबुड्डा	*Leea crispa*
108.	डालचीनी	*Cinamomum zeylanicum*
109.	बीरभूटी	*Flemingia nana*
110.	डंबू, कुंदरी	*Cucumis hardwikii*
111.	बिरकुबत, नागफूल	*Andrographis echioides*
112.	नशा	*Datura alba*
113.	बिशैलकर्णी	*Delphinum denudatum*
114.	देसीबदम	*Terminalia catappa*
115.	बिजा शाली	*Pterocarpus marsupium*
116.	देसी सनाई, सन्नहेन्पो	*Crotalaria juncea*
117.	बोडी, घांघरा, बोरा, बरबती	*Vigna unguiculata*
118.	ढैचा, मंगेरा	*Sesbania cannabina*
119.	बोंग असर-जोम, बीरमानल, संग-सरजोम, रैधानी,	*Ventilago calyculata*
120.	ढैंचा, बन सनाई	*Crotolaria juncea*
121.	ब्रा सखुआ	*Ventilago madaraspatana*
122.	धनिया	*Coriandrum sativum*
123.	बक गेहूं	*Fagopyrum esculentum*
124.	धतकि	*Woodfordia fruticosa*
125.	भंग	*Canna indica*
126.	धतुरा	*Datura metel*
127.	कसावा	*Manihot esculenta*
128.	धतुरा	*Datura stramonium*
129.	चकोरी	*Cassia alata*
130.	ढोम्पो	*Leonotis nepetaefolia*
131.	चकोटरा	*Citrus maxima*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
132.	धुरपी साग	*Leucas aspera*
133.	चाकसू	*Cassia absus*
134.	खाम अलु, सरू, लतारू सखारू, गेठी कांडा, डायोस्कोरिया, आरू,	*Dioscorea sp-*
135.	चाल्कुमुदा	*Banincasa hispida*
136.	डॉग बाइट-1, वटीमहोर	*Uraria lagopodioides*
137.	चंपा	*Michelia champaca*
138.	दोना	*Artemisia scoparia*
139.	चना, देसी चना, गुंजा,	*Cicer arietinum*
140.	दूधराजी	*Sonchus oleraceus*
141.	चंदन	*Santalum album*
142.	गुंडली	*Panicum miliare*
143.	डोफारिया	*Pentapetes phoenicea*
144.	गुंडली, कोडो,	*Panicum sumatrense*
145.	दुधि लतरी	*Tylophora rotundifolia*
146.	गुरमी (चिवड़ा)	*Cucumis sp-*
147.	दुधिमाला, दुधि	*Euphorbia hirta*
148.	हडजोर	*Mirabilis jalapa*
149.	हाथी क्रीपर	*Argyreia nervosa*
150.	हल्दी	*Curcuma longa*
151.	फ२क्सटेल बाजरा	*Seteria glauca*
152.	हल्दी, देसी हल्दी, मोरंगिया हल्दी, जंगली हल्दी, धूमराला हल्दी	*Curcuma domestica*
153.	रोयां	*Dioscorea alata*
154.	हंसराजी	*Adiantum capillus&veneris*
155.	गढ़पूर्णा/पुनर्नवा, सलपर्णी	*Boerhaavia diffusa*
156.	हरजोर	*Cissus quadrangularis*
157.	गज पिपुली	*Scindapsus officinalis*
158.	हैरो, हर्रे	*Terminalia chebula*
159.	गम्हारे	*Ga melina arborea*
160.	हरसिंगारी	*Nyctanthes arbor&tristis*
161.	गांधली	*Paederia foetida*
162.	हाथीकानी,	*Leea macrophylla*
163.	गांधारी साग, अमरनाथ (लाल), अमरनाथ (हारा), चौलाई, रामदाना, लालता	*Amaranthus tricolar*
164.	हेमसागर, बन आदि, केवा कांड, कोस्टस, केयूयान	*Costus speciosus*
165.	गांधी गच्चो	*Chloroxylon swietenia*
166.	हिलेंचा	*Enhydra fluctuans*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
167.	गन्ना, गेंवारा, कालो धुरसे, धुरसे, रातो	*Saccharum officinarum*
168.	हिमसागरी	*Canavalia gladiata*
169.	गारा तिरिलि	*Diospyros peregrina*
170.	हिरणतुतिया	*Colchicum luteum*
171.	बगीचा	*Cassine glauca*
172.	इकारी, खार, कारा, सरपती	*Saccharum spontaneum*
173.	गेहुन	*Triticum aestivum*
174.	इमली, ताम्रिंदो	*Tamarindus indica*
175.	घटू	*Clerodendron infortunatum*
176.	इंद्रजौ	*Wrightia tinctoria*
177.	घोरबैच, बिजका, गोरख इमली, बुच्ची	*Acorus calamus*
178.	भारतीय सिनकोना,भुरकुड, तुईपिनाच	*Callicarpa macrophylla*
179.	घृत कुमारः	*Aloe vera*
180.	इसबगोल	*Plantago ovata*
181.	घृतकुमारी	*Aloe barbedansis*
182.	जहरमोहरा	*Canavalia virosa*
183.	गिलोय, हड़जोर, गुरुच,	*Tinospora cordifolia*
184.	जय, जबड़ा, जई	*Hordeum vulgare*
185.	गोखरु	*Martynia deondra*
186.	जलापट्टी	*Putranjiva roxburghii*
187.	गोखरु	*Tribulus terrestris*
188.	जामुन	*Eugenia javanica-alba*
189.	गोखुला कांत	*Hygrophila auriculata*
190.	जामुन, फरेंदा, कैट जामुन	*Syzygium cuminii*
191.	गोरगोरी	*Coix lahcryma*
192.	जनेरो	*Zea mexicana*
193.	गोवारी	*Cyamopsis tetragonoloba*
194.	जंगली अमरूद	*Psidium chinensis*
195.	अनाज अमरनाथ	*Amaranthus caudatus*
196.	जंगली बैंगन	*Solanum indicum*
197.	चकोतरा	*Citrus paradisi*
198.	जंगली भिंडी	*Abelmoschus tetraphylla*
199.	ग्वारफली	*Cyamopsis tetragonoloba*
200.	जंगली हल्दी	*Curcuma aromatica*
201.	गुडमारी	*Gymnema sylvestre*
202.	जंगली करोड़ा, पोटो	*Randia dumetorum*
203.	गुग्गल, मुकुल कांता	*Commiphora mukul*
204.	जंगली खजूर, बन खजूरी	*Phoenix sylvestris*
205.	गुलांची	*Synadenium grantii*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
206.	जंगली कुलठी, बंकुलथी	*Atylosia scarabaeoides*
207.	गुंदली, चीना	*Panicum miliaceum*
208.	कद्दुट्री	*Crescentia cujete*
209.	जंगली उर्दू	*Phaseolus radiatus var- grandis*
210.	केंता	*Trichosanthes cucumerina*
211.	जंगली बंगाली	*Solanum viarum*
212.	कैथा	*Limonia acidissima*
213.	जंगली भिंडी	*Abelmoschus cancellatus-*
214.	काजू	*Anacardium occidentale*
215.	जंगली भिंडी	*Abelmoschus crinitus*
216.	काकड़ी, बटिया	*Cucumis melo var utilissimus*
217.	जंगली भिंडी	*Abelmoschus moschatus*
218.	कालाखजुर, सतावर, सतमुली, कादर	*Asparagus racemosus*
219.	जंगली भिंडी	*Abelmoscus sp-*
220.	काली हल्दी	*Curcuma caesia*
221.	जंगली पिकवान, अनंतमूली	*Tylophora asthmatica*
222.	काली मकोई	*Solanum nigrum*
223.	जानूस, अमरकंदी	*Eulophia nuda*
224.	काली मुसली	*Chlorophytum borivilianum*
225.	चमेली	*Jasminum sambac*
226.	कलिहारी, भाट, भटमाश,	*Gloriosa superba*
227.	जटरोफा	*Jatropha gossypifolia*
228.	कालमेघ, हड़जोर, भुनीम	*Andrographis paniculata*
229.	जटरोफा, लालझारी, अरंडी, बगरेरा, रतनजोत	*Jatropha curcas*
230.	कमला, कमलागुंडी	*Mallotus philippinensis*
231.	झांझकोरी	*Ziziphus oenoplia*
232.	कमलगट्टा	*Nymphaea pubescens*
233.	झिंगी, नेनुआ	*Luffa cylindrica*
234.	कामराखी	*Averrhoa carambola*
235.	झिंगी, सतपुतिया	*Luffa acutangula*
236.	कंदराई, पाताल कोहडा	*Pueraria tuberosa*
237.	झुंझुनी	*Crinum retusa*
238.	कांघी, सनापट्टी	*Abutilon indicum*
239.	जिलेविक	*Pedilanthus tithymaloides*
240.	कनोड	*Carissa spinarum*
241.	जिरहुली	*Indigofera pulchella*
242.	कांता धनिया, शिलांग धनिया	*Eryngium foetidum*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
243.	जिवंती	*Aristolochia oncocephalous*
244.	कपूर	*Cinnamomum camphora*
245.	जिवंती	*Holostemma annulari*
246.	कपूर कचारी	*Kaempferia galanga*
247.	जोजोबा	*Simondsia chinensis*
248.	करम	*Adina cordifolia*
249.	ज्वार, गंगई,	*Sorghum vulgare*
250.	करम	*Thespesia populina*
251.	चारा	*Coleus aromaticus*
252.	करंच, करंज	*Pongamia pinnata*
253.	जुआनपट्टा	*Curcuma amada*
254.	खरहनी घास, भुइकदंब, गोरखमुंडी	*Sphaeranthus indicus*
255.	जंगली हल्दी	*Trichosanthes bracteata*
256.	करिझाकरी, महादेव जटा	*Lygodium flexuosum*
257.	जंगली पाताल	*Zingiber sp-*
258.	कडीपत्ता	*Murraya koenigii*
259.	जंगली अदाराकी	*Zingiber zerumbet*
260.	करोंदा	*Carissa carandas*
261.	जंगली अदाराकी	*Zingiber cassumunar*
262.	कसौंदा	*Cassia sophera*
263.	जंगली अदारक, जंगली अदरक	*Hibiscus sp-*
264.	कसुंडी	*Cassia occidentalis*
265.	जूट	*Corchorus capsularis*
266.	काटा करंच, कंटकराजी	*Barlaria prionitis*
267.	जूट, सनाई, कुदुम, लाल शर्बत, पटुआ, देसी पाटी	*Bauhinia varigata*
268.	कठहल	*Artocarpus heterophyllus*
269.	कचनारी	*Colocasia esculenta*
270.	कटिला	*Sterculia foetida*
271.	कचू, सरू, अल्टी, पेचकी, तारो,	*Lagenaria siceraria*
272.	कुर्चि	*Holarrhena antidysenterica*
273.	कद्दू, तोरी, सुकु, लौकी	*Solanum Xanthocarpum*
274.	कुर्सा	*Macuna pruriens*
275.	कातरंगिनी	*Acacia catechu*
276.	कुसमी, कुसुमी	*Carthamus tinctorius*
277.	झंजजीं	*Sateria italica*
278.	कुसुम	*Schleichera oleosa*
279.	कौनिस	*Trichosanthes palmata*
280.	कुटम्बा	*Solanum torvum*
281.	कौतामार, बांकौआ	*Pandanus odoratissimus*
282.	कुट्रम, पट, सनई	*Hibiscus sabdariffa*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
283.	कबदा	*Musa sapientum*
284.	क्वाच	*Mucuna perpurea*
285.	केला	*Musa balbisiana*
286.	लाजवंती	*Mimosa pudica*
287.	केला, अल्तिया	*Musa paradisiaca*
288.	लालरत्ती, रत्ती. सफेद चिरमी, लाल कोंच	*Abrus precatorius*
289.	केला, मालभोग कोटिया, चिनिया, पापड़ी, हजारिया, सिंगापुर, धुधमुंगेर,	*Diospyros melanoxylon*
290.	लसोरा	*Cordia rothii*
291.	केंडो	*Diospyros tomentosa*
292.	लतारू, अरू, खमालू, सांगा, पिंडर, नकवा, सांगा,	*Dioscorea alata*
293.	केंडू, केंडो	*Pisum arvense*
294.	लतकन, सालपर्नि	*Bixa orellana*
295.	केरो, बतूरा, मटर, देसी मटर, बाकला, मस्काली	*Momordica charantia*
296.	लतकन, सिंदूरी	*Bixa orellana*
297.	केरेला, जंगली केरल, बांकेरेला, चुचे	*Citrullus lanatus*
298.	लटकुआ	*Baccaurea sapida*
299.	खरबुजा	*Vetiveria zizanioides*
300.	लौंग	*Syzygium aromaticum*
301.	खसखासी	*Citrus aurantium*
302.	नींबू घास	*Cymbopogon flexuosus*
303.	खट्टा नींबू	*Momordica cochinchinensis*
304.	नींबू घास	*Cymbopogon citratus*
305.	खेक्षा, घी करैला	*Cucumis sativus*
306.	नींबू घास	*Cymbopogon citronella*
307.	खिरौ	*Antidesma ghaesembilla*
308.	नींबू घास	*Cymbopogon martini*
309.	खुदिया	*Paspalum scrobiculatum*
310.	नींबू घास	*Cymbopogan winterianus*
311.	कोडोस	*Cucurbita maxima*
312.	नींबू घास	*Cymbopogan winterianus*
313.	कोहरा, कुम्दा, जंगली कद्दू	*Holostemma rheedi*
314.	लीवर पौधा	*Colebrookia oppositifolia*
315.	कोंगालु	*Bauhinia vahlii*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
316.	स्थानीय धान, गोडा धा, कलमदानी, कटुकाई, थोसर तम्रया, तिलसर, हरदीफूल, झिंगिसाल, द्वारधान, तुरियाधान, करहनी	*Oryza sativa*
317.	कोंगो / गोंगु	*Setaria italica*
318.	लोध	*Symplocos racemosa*
319.	कोनि	*Strychnos nux-vomica*
320.	मदिया	*Eleusine coracana*
321.	कुचल	*Hibiscus cannabinus*
322.	मडुआ, कोदो, सफेद गोरा धान, मंझला मडुआ, मडुआ (रागी), बड़ा मडुआ,	*Eleusine coracana*
323.	कुद्रुम	*Celastrus paniculatus*
324.	मेहुन्द	*Pterospermum acerifolium*
325.	कुजरी, मुंजनी / कुजरी	*Alpinia galanga*
326.	महाजल	*Colocasia sp-*
327.	कुलंजन, महावीर बच्चन	*Macrotyloma uniflorum*
328.	महुआ	*Madhuca latifolia*
329.	कुलथी, कुर्थी	*Coccinia indica*
330.	महुआ	*Madhuca longifolia*
331.	कुंदरी	*Coccinia cordifolia*
332.	मुसली (सफेद)	*Chlorophytum tuberosum*
333.	कुंदरू	*Zea mays*
334.	मूसली	*Chlorophytum arundinaceum*
335.	मकाई, थुलो लोकल, रस्तो लोकल, टपरी मकाई	*Euryale ferox*
336.	नगर मोथा	*Cyperus rotundus*
337.	मखाना, गुरिया	*Physalis ixocarpa*
338.	नागबेल, भुइंकुलचि	*Rauvolfia tetraphylla*
339.	मकोई	*Physalis minima*
340.	नागफनी	*Opuntia ficus-indica*
341.	मकोई (छोटा)	*Coptis teeta*
342.	नरियाली	*Cocos nucifera*
343.	ममीरा	*Nigella sativa*
344.	नयनतारस	*Catharanthus rosea*
345.	मंगरेला, कालीजीरा, कलौंजी	*Rubia cordifolia*
346.	नीलकंठ	*Neelkanth sp-*
347.	मंजिस्ता	*Alocasia indica*
348.	नीम	*Azadirachta indica*
349.	मनकानो	*Alocasia macrorrhiza*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
350.	नील	*Indigofera tinctoria*
351.	मांकंडा, मोहना, मानस	*Xanthosoma sagittifolium*
352.	नीलकंठ	*Curcuma caesia*
353.	मांकंडा, तानिया	*Helicteres isora*
354.	नींबू	*Citrus reshni cliopatra mandarin*
355.	मरोर फली	*Cissus repanda*
356.	निम्बू, कागजी निम्बू	*Citrus aurantifolia*
357.	मस्जिदो	*Lens esculenta*
358.	निर्विश, वन ओल	*Typhonium trilobatum*
359.	मसूर	*Pisum sativum*
360.	ओल, जिमिकान्द	*Amorphophallus campanulatus*
361.	मटर, मटर (केराव), सफेद मटर, पच्चा मटर	*Antidesma sp-*
362.	पहाड़ी धनिया	*Apium graveolens*
363.	मठ	*Vanda tessellata*
364.	पालक	*Spinacia oleracea*
365.	मटकम जनपद, बांदा,	*Lawsonia inermis*
366.	पालमरोसा	*Cymbopogan martinii*
367.	मेहंदी	*Tagetes erecta*
368.	पनेला, पनेरा	*Flacourtia indica*
369.	गेंदे का	*Trigonella foenum-graecum*
370.	पापडो	*Gardenia latifolia*
371.	मेथी	*Chenopodium ambrosioides*
372.	पपीता	*Carica papaya*
373.	मैक्सिकन चाय	*Paspalum sp-*
374.	परसुता	*Ludwigia perenis*
375.	छोटा बाजरा	*Capsicum frutescense*
376.	परसुता	*Ludwigia perenis*
377.	मिर्च	*Capsicum annuum*
378.	परवल	*Trichesanthes dioica*
379.	धनवा मिर्च, काला मिर्च, कुटकी मिर्च, लंका- मिर्च, लवंगिया	*Pachyrhizus angulatus*
380.	पसरा	*O-nivara, O- rufipogon*
381.	मिश्रीकंद, मिश्रीगंज	*Scoparia dulcis*
382.	पसरा	*Oryza nivara*
383.	मीठादान	*Dolichos sp-*
384.	पसरा	*Oryza rufipogon*
385.	मिश्रित बीन	*Citrus sinensis (L) osbeck*
386.	पसरा	*Oryza spontanea*
387.	उवेंउइप	*Vigna aconitifolia*
388.	पशन फल	*Passiflora edulis*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
389.	कीट	*Raphanus sativus*
390.	पट साग	*Hibiscus pungens*
391.	मुली, रेडिशो	*Vigna radiata*
392.	पाताली	*Stereospermum chelonoides*
393.	मूंग, हरा दाल, मूंग (काला), मूंग (हारा),	*Celosia cristata*
394.	पत्थरचुर, सहदेवी	*Coleus amboinicus*
395.	मुर्गफुल (लाल)	*Chlorophytum laxum*
396.	सपन्ध, ईशरमूल, पागलजरी,	*Aristolochia indica*
397.	मुसाली	*Ipoemia cissoids*
398.	सफेद खैर	*Acacia sumo*
399.	पेलवा साग	*Pholidota imbricata*
400.	सागवान	*Tectona grandis*
401.	फोलिडोटा	*Thysanolaena maxima*
402.	सहजन, मुंगा, बरमासिया मुंगा	*Moringa oleifera*
403.	फूल झाडू	*Cardiospermum halicacabum*
404.	सहदेवी	*Vernonia cinreria*
405.	फुलवारी	*Operculina turpethum*
406.	सेमल	*Bombax ceiba*
407.	मुरलीवाला	*Piper longum*
408.	शकरकंदी	*Ipomoea batatas*
409.	पिप्ली	*Pistacia vera*
410.	सलई	*Boswellia serrata*
411.	पिस्ता	*Cissampelos pareira*
412.	सम्मी	*Prosopis cinereria*
413.	पीतुसिंह, लघु पाठ	*Basella alba*
414.	सैन	*Hibiscus cannabinus*
415.	पोइस	*Litsaea polyantha*
416.	शंखपुष्पी	*Evolvulus alsinoides*
417.	पूजो	*Punica granatum*
418.	सन्नापट्टी	*Cassia angustifolia*
419.	अनार	*Portulaca oleracea*
420.	संतरा	*Citrus reticulata (L) blanco*
421.	पोर्टुलाका (लाल)	*Papaver somniferum*
422.	सनवा	*Echinochloa frumentacea*
423.	पोस्टा	*Mentha arvensis*
424.	सरना, मिठुआ, मिर्जाफर, श्रीगहन, जहूर, सुरमभोपाली, तमुआ, रदी	*Mangifera indica*
425.	पुदीना	*Ficus rumphii*
426.	सर्पगंधा	*Rauvolfia serpentina*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
427.	पुटकल / पिलखान	*Cestrum nocturnum*
428.	सरसों, राय, लोटनी, तोरिया, रैंची, पिलाभूरा तोरी	*Brassica campertris*
429.	रहर, अरहर, लैगून-I, लैगून-II, लालकी अरहर, माघी अरहर, पीली अरहर, अघानी अरहर, रहीर, चौतकी रेयाडी, रेयाडी	*Cajanus cajan*
430.	सरु	*Dioscorea deltoidea*
431.	रैनि	*Salvadona eleoder*
432.	सरू, गेथियो	*Dioscorea pentaphylla*
433.	रजनीगन्धा	*Polianthes tuberosa*
434.	सरू, गेथियो	*Dioscorea rotondata*
435.	रक्त चंदन	*Adenanthera pavonina*
436.	सौंफ	*Foeniculum vulgare*
437.	रक्त रोहिणी	*Soymida fabrifuga*
438.	सवरागो	*Vernonia anthelmintica*
439.	रालिस	*Piper aurantiacum*
440.	सेम, बीन, डोलिचोस बीन	*Lablab purpureus*
441.	रामदातून,	*Smilax procera*
442.	सेम, मक्खन बीन,	*Dolichos lablab*
443.	रामदातून / अटकिर, रामदातून (सीतिया)	*Smilax zeylanica*
444.	सोहरा	*Streblus asper*
445.	रामदातुन	*Smilax lancaefolia*
446.	सोम	*Sarcostemma acidum*
447.	रामदातुन	*Smilax macrophylla*
448.	तैलाई	*Sterculia urens*
449.	रामफल, सीता फल, सरिफा	*Annona reticulata*
450.	टमाटर	*Lycopersicon esculentum*
451.	रतालु	*Dioscorea bulbifera*
452.	तम्बाकु	*Nicotiana tabacum*
453.	राइस बीन	*Vigna umbellata*
454.	तम्बाकु	*Nicotiana plumbaginifolia*
455.	रिथा	*Sapindus mukorossi*
456.	तर्मुली, काली मूसली, तिया, जंगली खजूर,	*Curculigo orchioides*
457.	रूद्राक्ष	*Elaeocarpus floribundus*
458.	तेजपत्ता	*Cinamomum tamala*
459.	रूद्राक्ष	*Elaeocarpus ganitrus*
460.	थोडो, कंजुनारंगु	*Vitis latifolia*
461.	रूई, कपास, कापासो	*Gossypium arboreum*

क्र.सं.	स्थानीय नाम	वनस्पतिक नाम
462.	तिखुरो	*Curcuma angustifolia*
463.	साग	*Amaranthus caudatus*
464.	टिक्काग्रास	*Evolvulus nummularius*
465.	सोनापट्टा, वंसुपाली, हाथीपंजर, सोनाछली	*Oroxylum indicum*
466.	टिल	*Sesamum indicum*
467.	सोवा	*Anethum sowa*
468.	टिसिओ	*Linum usitatissimum*
469.	स्क्वाश	*Sechium edule*
470.	तुत घास	*Barleria sp-*
471.	सुदर्शन	*Crinum latifolium*
472.	तूतमलंगा	*Plectrathus incanus*
473.	सुपारी	*Areca catechu*
474.	पेड़ टमाटर	*Cyphomandra betacea*
475.	सूरजमुखी	*Helianthus annuus*
476.	त्रिशूल	*Flemingia prostrata*
477.	सुरबांस, बन तुलसी, भीम तुलसी, तुलसी, डिंबुक फूल	*Ocimum gratissimum*
478.	तनिया	*Xanthosoma violaceum*
479.	सरगुजा, गुंजा	*Guizotia abyssinica*
480.	तरबुज	*Citrullus lanatus*
481.	सुरफुंखा	*Tephrosia purpurea*
482.	तुलसी	*Ocimum kilimandscharicum*
483.	सुथनी	*Dioscorea esculenta*
484.	तुलसी (हरा), लाल तुलसी,तुलसी, कृष्ण तुलसी, जंगली तुलसी	*Ocimum sanctum*
485.	शाही, बेदामा, लोंगिया, मंदराजी	*Litchi chinensis*
486.	जंगली तुलसी, बनतुलसी	*Ocimum basilicum*
487.	शकुआ, सालो	*Shorea robusta*
488.	उजला अपराजिता	*Clitoria ternatea*
489.	शिकाकाई	*Acacia concinna*
490.	उलटकंबल	*Abroma augusta*
491.	सिद्ध	*Lagerstroemia indica*
492.	उड़द, कलाई, उड़द बीन	*Vigna mungo*
493.	सीताफली	*Annona glabra*
494.	विलायती बबुल	*Pithecellobium dulce*
495.	सीताफली	*Cucurbita maxima*
496.	जिनिया	*Campsis grandiflora*
497.	सीताफल / तालाब सेब	*Annona squamosa*
498.	सीताव	*Ruta graveolens*

अत्यंत संरक्षण की प्राथमिकता वाली प्रजातियाँ

Sl. No.	Botanical Name	Common Name	Family
1	*Allium hookeri*	जंगली प्याज	Alliaceae
2	*Asparagus racemosus*	शतावरी	Liliaceae
3	*Bacoppa monnieri*	ब्राह्मी	Scrophulariaceae
4	*Cajanus scaraboides*	जंगली कुल्थी	Fabaceae
5	*Celastrus paniculatus*	मालकांगनी	Celastraceae
6	*Chlorophytum arundinaceum*	जंगली मुस्ली	Liliaceae
7	*Chlorophytum borivillium*	सफेद मुस्ली	Liliaceae
8	*Colchicum luteum*	हिरणतुतिया	Liliaceae
9	*Commiphora wightii*	गुग्गल	Burseraceae
10	*Curculigo orchioides*	काली मुस्ली	Hypoxidaceae
11	*Dioscorea deltoidea*	यम, रतालू	Dioscoreaceae
12	*Gymnema sylvestre*	गुरमरी	Asclepiadaceae
13	*Hemidesmus indicus*	अनंतमूल	Asclepiadaceae
14	*Oryza rufipogon*	जंगली धन	Poaceae
15	*Rauvolfia serpentina*	सर्पगंधा	Apocynaceae
16	*Semecarpus anacardium*	भिलवा	Anacardiaceae

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध झारखण्ड राज्य के संकटाग्रस्त प्रजातियां

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारत सरकार से साभार

भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध झारखण्ड राज्य के संकटाग्रस्त प्रजातियां

S.N.	Name of the plant	Habit	S.N.	Name of the plant	Habit
1.	*Acacia pseudo-eburnea J.R. Drumm. ex Dunn*	Tree	2.	*Erythrina resupinata Roxb.*	Shrub
3.	*Albizia thompsonii Brandis*	Tree	4.	*Iseilema holei Haines*	Herb
5.	*Alysicarpus roxburghianus Thoth. & A. Pramanik*	Herb	6.	*Jasminum strictum Haines*	Herb
7.	*Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.*	Tree	8.	*Pecteilis triflora (D. Don) T. Tang & F.T. Wang*	Herb
9.	*Chrysopogon lancearius (Hook.f.) Haines*	Herb	10.	*Peristylus sahanii Kumar, G.S. Rawat & Jalal*	Herb
11.	*Clematis roylei Rehder var. patens (Haines) Kapoor*	Climber	12.	*Phyllanthus lawii J. Graham*	Shrub
13.	*Coelorachis clarkei (hack.) Blatt. & McCann*	Herb	14.	*Pterocarpus marsupium Roxb.*	Tree
15.	*Crotalaria filipes Benth. var. trichophora (Baker) T. Cooke*	Herb	16.	*Pterocarpus marsupium Roxb. susb. acuminatus (Prain) Thoth.*	Tree
17.	*Crotalaria globosa Wight & Arn.*	Herb	18.	*Saurauia parasnathensis Ranjan & Sush. C. Srivast.*	Tree
19.	*Crotalaria topouensis Debb.*	Herb	20.	*Seseli alboalatum (Haines) Pimenov & Kljuykov*	Herb
21.	*Desmodium benthamii N.P. Balakr.*	Shrub	22.	*Sophora bakeri C.B.Clarke ex Prain*	Shrub
23.	*Dimeria connivens Hack.*	Herb	24.	*Swertia angustifolia Buch.-Ham. ex D.Don var pyramidalis Haines*	Herb

झारखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में संकटाग्रस्त जीव प्रजातियां

Sl. No.	Name of the faunal species	Common Name
1.	*Platanista gangetica (Roxburgh, 1801)*	Ganges River Dolphin
2.	*Gyp. Bengalensis (Gmelin, 1788)*	Gyps Vulture
3.	*Rhodonessa caryophyllacea (Latham, 1790)*	Pink Headed Duck
4.	*Sarcogyps calvus (Scopoli, 1786)*	Indian Black Vulture
5.	*Gavialis gangeticus (Gmelin, 1789)*	Gharial Crocodile

अध्याय–आठ

महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों का संकलन

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थानों द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समिति के गठन एवं विभिन्न विभागों द्वारा इन समितियों को सभी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने सम्बंधित दिशा निर्देश

A. K. Goyal
Additional Secretary
Tele No. 23753820

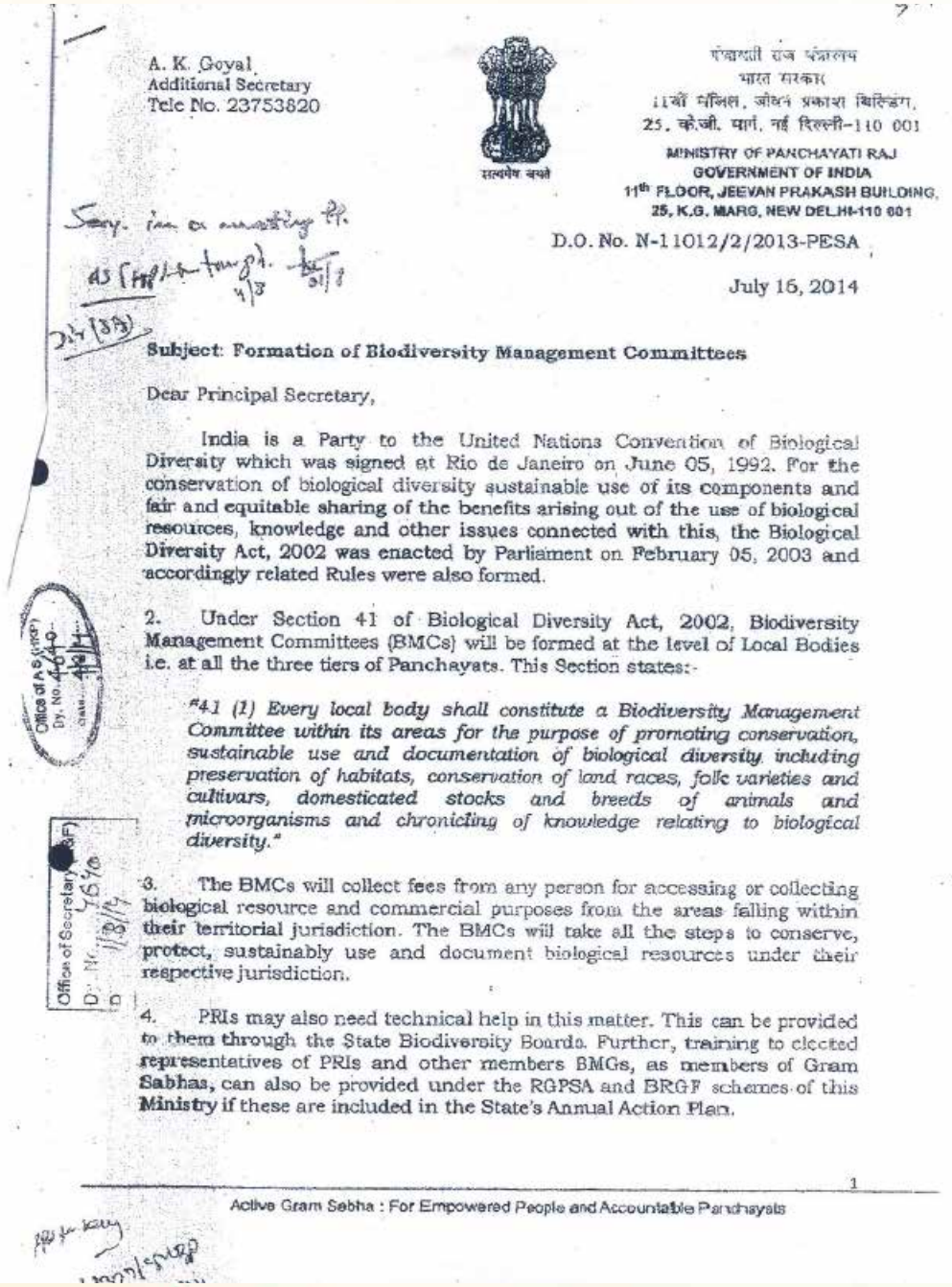

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110 001

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
11th FLOOR, JEEVAN PRAKASH BUILDING,
25, K.G. MARG, NEW DELHI-110 001

D.O. No. N-11012/2/2013-PESA

July 16, 2014

Subject: Formation of Biodiversity Management Committees

Dear Principal Secretary,

India is a Party to the United Nations Convention of Biological Diversity which was signed at Rio de Janeiro on June 05, 1992. For the conservation of biological diversity sustainable use of its components and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources, knowledge and other issues connected with this, the Biological Diversity Act, 2002 was enacted by Parliament on February 05, 2003 and accordingly related Rules were also formed.

2. Under Section 41 of Biological Diversity Act, 2002, Biodiversity Management Committees (BMCs) will be formed at the level of Local Bodies i.e. at all the three tiers of Panchayats. This Section states:-

> *"41 (1) Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee within its areas for the purpose of promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity including preservation of habitats, conservation of land races, folk varieties and cultivars, domesticated stocks and breeds of animals and microorganisms and chronicling of knowledge relating to biological diversity."*

3. The BMCs will collect fees from any person for accessing or collecting biological resource and commercial purposes from the areas falling within their territorial jurisdiction. The BMCs will take all the steps to conserve, protect, sustainably use and document biological resources under their respective jurisdiction.

4. PRIs may also need technical help in this matter. This can be provided to them through the State Biodiversity Boards. Further, training to elected representatives of PRIs and other members BMGs, as members of Gram Sabhas, can also be provided under the RGPSA and BRGF schemes of this Ministry if these are included in the State's Annual Action Plan.

1

Active Gram Sabha : For Empowered People and Accountable Panchayats

5. Accordingly you are requested to:

(i) Constitute BMCs, wherever not constituted, at all the three tiers of PRIs in coordination with the State Biodiversity Boards;

(ii) Make necessary amendments to the Panchayati Raj Acts/Rules in declaring these statutory bodies as Standing Committees of the PRIs so that they can avail all benefits of the schemes of the MoPR for the conservation and sustainable use of biodiversity; and

(iii) Provide them technical help in preparation of people's biodiversity registers so that the PRIs could get benefits from commercial exploitation of biodiversity in their areas.

With regards,

Yours sincerely,

16/07/14

(A K Goyal)

To
The Principal Secretaries of Panchayati Raj Departments
(All States/UTs)

Copy to

The Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, GOI for information.

अध्याय–नौ

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा सभी उपायुक्तों को जैवविविधता प्रबन्धन समितियों को स्थानीय कार्यालय एवं बैठक हेतु पंचायत भवनों को उपलब्ध कराने सम्बंधित आदेश

झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग

पत्र संख्या–वन्यप्राणी–03/2005– 5002 व०प०

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त।

राँची, दिनांक– 09/06/15

विषयः– स्थानीय निकाय (पंचायत/नगर निकाय) स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों को संबंधित निकायों द्वारा कार्यालय हेतु जगह उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य अधीन जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन प्रत्येक पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर किया जाना है। इस हेतु जैव विविधता प्रबंधन समितियों को स्थानीय कार्यालय उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें अधिनियम के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों के निष्पादन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा रहा है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले में जैव विविधता प्रबंधन समितियों को अभिलेख रखने हेतु समुचित स्थान उपलब्ध कराये जाने के प्रसंग में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

साथ ही, समितियों की बैठक हेतु मौजूद पंचायत भवनों का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलान्तर्गत सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को भी निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
(अरुण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03/2005– 3002 व०प०, राँची, दिनांक– 09/06/15

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

अध्याय–दस

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी को नाभिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या– वन्यप्राणी–03 / 2005 (खण्ड) 5916 / व०पर्या०, राँची, दिनांक 23·11·15

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद का गठन जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्याः वन्यप्राणी –03 / 05(खण्ड)–6550, दिनांकः 20.12.2007 के माध्यम से किया गया है जिसका मुख्यालय राँची है।

राज्य में झारखण्ड जैव विविधता पर्षद के अधीन गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के विभिन्न विषयों / कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु **प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी / उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रमण्डल एवं पलामू व्याघ्र आरक्ष्य के कोर और बफर क्षेत्रीय प्रमण्डलीय स्थापना सहित)** को जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ Nodal Officer मनोनीत किया जाता है। नाभिकीय पदाधिकारी का मुख्य कार्य उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत निम्नलिखित होगा :–

1. जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण,
2. जैव विविधता प्रबंधन समितियों को हस्तांतरित राशि (अनुदान / ऋण) का पर्यवेक्षण,
3. जिला स्तरीय गठित तकनीकी सहायता समूह से समन्वयन,
4. जन जैव विविधता पंजी के निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण,
5. पर्षद द्वारा जारी आदेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन।

नाभिकीय पदाधिकारियों (Nodal officers) के reporting authority सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

9/11/15
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03 / 2005 (खण्ड) 5916 / व०पर्या०, राँची, दिनांक 23·11·15

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ सरकार को उपलब्ध करायी जाय।

9/11/15
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03 / 2005 (खण्ड) 5916 / व०पर्या०, राँची, दिनांक 23·11·15

प्रतिलिपि– सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली-110003 / वन महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली-110003 / राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 5वां तल्ला, TICEL Biopark, Taramani, Chennai- 600 113 को सूचनार्थ प्रेषित।

9/11/15
सरकार के उप सचिव

५५८

ज्ञापांक–वन्यप्राणी–03 / 2005 (खण्ड) 5916 / वनपयाँ०, राँची, दिनांक 23.11.15

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / महामहिम राज्यपाल के सलाहकार के सचिव / **मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची** / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव, झारखण्ड के सचिव / सभी विभागों के प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं अन्य मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

अध्याय–ग्यारह

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा वनपालो को जैवविविधता प्रबंधन समितियों के खाता संचालन हेतु संयुक्त हस्ताक्षरी अधिसूचित करने सबंधि अधिसूचना

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–वन्यप्राणी–03 / 2005 (खण्ड) 5069 / व0प0, राँची, दिनांक 21.09.2015

झारखण्ड, जैव विविधता पर्षद का गठन जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–22 के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–वन्यप्राणी–03 / 05 (खण्ड)–6550 दिनांक 20.12.2007 के द्वारा किया गया है। इसका मुख्यालय राँची है। पर्षद के अध्यक्ष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड और सदस्य सचिव, मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी झारखण्ड है।

झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम–21(2) के आलोक में पर्षद अंतर्गत गठित प्रत्येक जैव विविधता प्रबंधन समिति के लिए स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन किया जाना है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (भारत सरकार) के Guideline for Operationalization of Biodiversity Management Committees (BMCs) की कंडिका–2.3 एवं 2.6 में वर्णित है कि स्थानीय जैव विविधता निधि का custody वैसे व्यक्ति को दिया जाय, जो कि स्थायी स्थापना, यथा स्थानीय / जिला प्रशासन से हों।

झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम–21(3)(क) में यह उल्लेखित है कि स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन व अभिरक्षा तथा जिन प्रयोजनों हेतु ऐसी निधि को व्यवहार में लाया जायेगा, राज्य सरकार द्वारा विहित नीति के अनुसार होगा।

जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम–21(3)(क) के आलोक में राज्य में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमंडल (वन्यप्राणी प्रमंडल एवं पलामू व्याघ्र आरक्ष्य के कोर और बफर क्षेत्र प्रमंडलीय स्थापनाओं सहित) में कार्यरत वनपाल को उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत गठित स्थानीय निकाय (पंचायत / म्युनिसिपल निकाय) स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए गठित स्थानीय जैव विविधता निधि के संचालन हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साथ संयुक्त हस्ताक्षरी (Joint Signatory) के रूप में घोषित किया जाता है।

प्राधिकृत वनपाल का मुख्य कार्य उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत निम्नलिखित होगा:–

1. क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थानीय निकाय स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष के साथ उनके बैंक खाते का संयुक्त संचालन।

Mongal/September, 2015 (3)

2. निधि का सुरक्षित संचालन।
3. यथासंभव चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
4. नगदी संव्यवहार से यथासंभव बचा जायेगा।
5. राशि की प्राप्ति, जमा एवं हस्तांतरण/व्यय।
6. अभिलेख एवं अंकेक्षण हेतु लेखा का संधारण।
7. जिला स्तरीय गठित तकनीकी सहायता समूह से समन्वयन।
8. पर्षद द्वारा जारी आदेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन।

उपरोक्त कार्यों हेतु प्राधिकृत वनपाल संबंधित क्षेत्र के नाभिकीय पदाधिकारी के माध्यम से सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद को प्रतिवेदित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अजय कुमार रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5069 /व0प0, राँची, दिनांक 21.09.2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनाथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 100 अतिरिक्त मुद्रित प्रतियाँ सरकार को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5069 /व0प0, राँची, दिनांक 21.09.2015

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली–110003/वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोर बाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली–110003/नेशनल बायोडायभरसिटी ऑथोरिटी, भारत सरकार, 5वॉ तल्ला, TICEL Bio park Taramani, Chennai-600113 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5069 /व0प0, राँची, दिनांक 21.09.2015

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/सभी मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं अन्य मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड जैवविविधता पर्षद्

(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार)

आमजन हेतु सरल रूप में जैवविविधता की लोकोपयोगी जानकारी
एवं
स्थानीय जैवविविधता प्रबंधन समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य

Ph: 091-651-2972107
E-mail: jbbranchi@gmail.com